

# सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

17 मैनुअलों का संग्रह

कार्यालय  
मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी  
पौड़ी

वर्ष : 2015 – 2016

## मैनुअल-1

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

## संगठन की विशिष्टियां कृत्य एवं कर्तव्य

2-1-उददेश्य पशु पालन विभाग का मुख्य उददेश्य पशुओं में नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। उन्नत नस्ल के सीमन द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। नैसर्गिक अभिजनन द्वारा उन्नत नस्ल के गाय/भैंसा साण्डों के द्वारा अच्छी नस्ल के पशुओं को बढ़ावा देना मुख्य उददेश्य है। भेड़ों के द्वारा अच्छी नस्ल की ऊन का उत्पादन करना है।

### जनपद पौड़ी गढ़वाल में पशु पालन विभाग से सम्बन्धित विभागीय संस्थाएँ

1-पशु चिकित्सालय	40
2-पशु सेवा केन्द्र	67
3-कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	65
4-भेड़ एवं ऊन केन्द्र	08

### मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पौड़ी के अधीन संस्थाओं का विवरण निम्नवत है

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	पशु चिकित्सालय	पशु सेवा केन्द्र	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	भेड़ एवं मेढ़ा केन्द्र	सियरिंग सेन्टर
1-	पौड़ी	पौड़ी डडुवादेवी	अमकोटी परसुन्डाखाल खाण्ड्यूसैण सत्यखाल पिसोली घटगौला	पौड़ी डडुवादेवी खाण्ड्यूसैण परसुन्डाखाल सत्यखाल	—	
2-	खिर्स	खिर्सू श्रीनगर देवलगढ	पोखरी ढामकेश्वर चमधार	श्रीनगर खिर्सू चमधार	पिटुन्डीखाल	
3-	कोट	कोट कमलपुर घुसगली	दोन्दल बहेडाखाल घिण्डवाडा बसन्तपुर जामलाखाल देहलचौरी सबदरखाल	कोट जामलाखाल सबदरखाल		
4-	पावौ	पावौ	सीकू चिपलघाट चोपड्यू पोखरीखेत	पावौ		
5-	कल्जीखाल	कल्जीखाल सरोडा-मरोडा	अगरोडा सूला किनगोडीखाल घण्डियाल	कल्जीखाल अगरोडा घण्डियाल सरोडा-मरोडा		
6-	जयहरीखाल	जयहरीखाल	ढौडियाल दुधारखाल	जयहरीखाल		

			अधरियाखाल			
7-	पोखडा	पोखडा	गवाणी देवराजखाल दान्था कृणजखाल	पोखडा	गेहूँलाड	
8-	एकेश्वर	एकेश्वर रीठाखाल सतपाली  अमोठा	श्रीकोटखाल किखू संगलाकोटी नौगावखाल अमोठा	अमोठा नौगावखाल संगलाकोटी एकेश्वर रीठाखाल		
9-	रिखणीखाल	रिखणीखाल कोटलीसैण बुलेखाखाल	किल्बोखाल अंगनीसैण मज्याणीसैण नौदानू बसडा	कोटलीसैण रिखणीखाल वसडा		
10-	द्वारीखाल	चैलूसैण काण्डाखाल डाडामण्डी सतपुली कटूडवडा	ग्वील देवीखेत सुमेरूसैण पाली	सतपुली काण्डाखाल डाडामण्डी चैलूसैण		
11-	यमकेश्वर	यमकेश्वर थलनदी मोहनचट्टी अमोला	आमसैण सार गंगाभोगपुर धारकोट	थलनदी मोहनचट्टी गंगाभोगपुर यमकेश्वर		
12-	दुगड्डा	दुगड्डा कोटद्वार कलालघाटी कालागढ	रामणी पौखाल सनेह सिगडडी कृ०ग०कोटद्वार मोटाढाक	दुगड्डा कोटद्वार कलालघाटी सनेह सिगडडी कृ०ग०कोटद्वार		
13-	थलीसैण	थलीसैण चाकीसैण कल्याणखाल	बूगीधार बसोलागाड चौरीखाल बगैली तरपालीसैण	थलीसैण बूगीधार	जाखगांव पीरसैण जखोलाताल रिस्ती	
14-	नैनीडाडा	नैनीडाडा धुमाकोट	हल्दूखाल सल्डमहादेव भौन दिगोलीखाल	नैनीडाडा धुमाकोट सल्डमहादेव	धुमाकोट	
15-	बीरोखाल	बीरोखाल कोलादरिया चौखाल	बैजरो दुनाउ मैठाणाघाट भरोलीखाल	बीरोखाल कोलादरिया	चोपताखाल	

## 2-2 संगठन का मिशन

जनपद में भेड,बकरी,गाय,भैंस में उन्नत नस्ल को विकसित करके जनपद के पशुपालकों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु।

2-3-संगठन के कर्तव्य- पशुपालन विभाग द्वारा विभागीय कार्यक्रमों का अनुश्रवण, पर्यवेक्षण निरीक्षण सर्वेक्षण कर आवश्यक मार्गदर्शन देना,तथा पशुपालकों को पशुपालन व्यवसाय के प्रति जागरूक करना तथा नस्ल सुधारने हेतु निःशुल्क गाय/भैंसा सांडों का वितरण करना हैं। साथ ही जनपद के पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों की रोकथाम हेतु आवश्यक जाँच कर रोग के निदान हेतु मार्ग दर्शन कराना है।

2-4-संगठन के मुख्य कृत्य - पर्वतीय क्षेत्र में पशुपालन मुख्य व्यवसाय के रूप में परम्परागत रूप से किया जाता है। विभाग का मुख्य कृत्य पशुपालकों की पशुओं में नस्ल सुधार करना तथा दुग्ध उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि करना है व पशुओं के रोगों का निदान की नई तकनीकों की जानकारी प्रदान करना है।

2-5-संगठन द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण - पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को चिकित्सा, टीकाकरण, दवापान, दवास्नान, बधियाकरण आदि की सुविधायें प्रदान करना तथा विभागीय संस्थाओं के माध्यम से पशुपालकों को उन्नत नस्ल के गाय/भैंसा सांड, मेढा वितरण करना है।

2-6-संगठन का संक्षिप्त इतिहास और उसके गठन का प्रसंग- पशुपालन विभाग का मुख्य उद्देश्य पशुओं में नस्ल सुधार कार्यक्रम क्रियान्वित करना है उत्तम नस्ल को बढ़ावा देकर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है ताकि जीवन स्तर में सुधार हो सके। उत्तरांचल लाइब्रेस्टाक डेबलपमैन्ट बोर्ड के माध्यम से विभागीय संस्थाओं के पशुपालकों को उत्तम नस्ल के सांड वितरित कर पशुपालकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।पशुओं में होने वाले विभिन्न रोगों की रोकथाम के लिए चिकित्सा, टीकाकरण, दवापान, दवास्नान,बधियाकरण आदि सुविधायें प्रदान करना है।

2-7- संगठनात्क ढांचा-

- 1- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
- 2- मुख्य सहायक
- 3- प्रवर सहायक
- 4- सहायक लेखाकार
- 5- कनिष्ठ सहायक
- 6- अन्वेषक कम संगणक
- 7- चारा सहायक
- 8- प्रयोगशाला सहायक
- 9- जीप चालक
- 10-पत्रवाहक

2-8- विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षायें-

- 1- पशुओं में रोगों की रोकथाम हेतु समय-समय पर टीकाकरण,चिकित्सा,दवापान,दवास्नान कराना ।
- 2- बमिर पशुओं का समय पर उपचार करना ।
- 3- समय-समय पर वाहय अन्तः परजीवी हेतु दवास्नान/दवापान कराना ।
- 4- नस्ल सुधार हेतु अच्छी नस्ल के सांडों से प्रजनन कराना

2-9-जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि -व्यवस्था-

पशुपालन विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के माध्यम से प्रचार/प्रसार करके जन सहयोग प्रदान करना ।

2-10- जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं सिकायतों के निराकरण की व्यवस्था -

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी कार्यालय पौड़ी पर स्वीकृत पद तथा शासनादेश का विवरण :-

क्र० सं०	योजना का नाम	श्रेणी	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	शासनादेश का विवरण
1	03-निदेशन तथा प्रशासन	द्वितीय	मु०प०चि०अ०	01	395 / 11-ई-22(5) / 63 दिनांक 18.03.56
		तृतीय	क०लि०	02	तदैव
		चतुर्थ	अर्दली	01	तदैव
2	प्रशासनिक ढांचे का सुदृढीकरण	तृतीय	स०ले०	01	4523 / 28.08.86 दिनांक 26.03.87
			व०स०	01	तदैव
			कैशियर	01	तदैव
		चतुर्थ	चौकीदार	01	950 / 22-अ-77 दिनांक 05.07.77
3	14-जिला मण्डल तथा अपर निदेशालय स्तर पर स्पेशल कम्पोनेंट की स्थापना	तृतीय	व०स०	01	2510 / 26.8.86 -2 / 56-प दिनांक 01.12.86
		तृतीय	क०लि०	01	तदैव
		चतुर्थ	चपरासी	01	तदैव
4	09-दुग्ध आच्छादित क्षेत्रों में पशुओं के प्रजनन की सुविधा	तृतीय	चालक	02	1726 / 28.08.91-2(130)-प / 86 दिनांक 08.10.91
	द० पशुचिकित्सालय श्रेणी	तृतीय	ड्रेसर	01	1410 / 28.08.02 / 23-प / 74
5	03-पशुचिकित्सालय एवं औषधालय	तृतीय	मु०वे०फा०	01	4361-28-08-प दिनांक 26.09.84
6	02-नये पशुचिकित्सालयों की स्थापना	द्वितीय	प०चि०अ०	04	1760 / 28-8-92-2 / 132-प / 91 दिनांक 22.09.92
		तृतीय	वे०फा०	04	तदैव
		चतुर्थ	चतुर्थ श्रेणी	08	तदैव
		द्वितीय	प०चि०अ०	04	4139 / 28-6-90-2 / 131-प-90 दिनांक 30.03.91
		तृतीय	वे०फा०	04	तदैव
		चतुर्थ श्रेणी	च०श्रे०	08	तदैव
		सफाई नायक	स०ना०	04	तदैव
		द्वितीय	प०चि०अ०	01	451 / 28-8-2 / 18-प / 80 दिनांक 07-02-81
		तृतीय	वे०फा०	01	तदैव
		चतुर्थ श्रेणी	च०श्रे०	02	तदैव
7	06-कृतिम गर्भाधान कार्यक्रम का विस्तार	द्वितीय	प०चि०अ०	01	426 / 28-8-दो / 47-प / 76 दिनांक 10-03-76
		तृतीय	प्र०स०	01	तदैव
			चारा पर्यवेक्षक	01	तदैव

			वाहन चालक	01	तदैव
			प0प्र0अ0	01	तदैव
8	03-पशुचिकित्सालय एवं औषधालय	द्वितीय	प0चि0अ0	02	5097 / 28-8-67-02 / 34-प / 87 दिनांक 18-03-88
		तृतीय	वे0फा0	02	तदैव
		द्वितीय	प0चि0अ0	04	2083 / 26-6-96-2 / 132-प-85 दिनांक 17.09.86
		तृतीय	वे0फा0	04	तदैव
		चतुर्थ	च0श्रे0	08	तदैव
		सफाई नायक	स0ना0	04	तदैव
		द्वितीय	प0चि0अ0	01	451 / 28-8-2 / 18-प / 86 दिनांक 07-2-81
		तृतीय	वे0फा0	01	तदैव
		चतुर्थ श्रेणी	च0श्रे0	01	तदैव
		द्वितीय	प0चि0अ0	04	3612 / 28-8-85-2 / 132-प दिनांक 07-1-86
		तृतीय	वे0फा0	04	तदैव
		चतुर्थ श्रेणी	च0श्रे0	08	तदैव
		सफाई नायक	स0ना0	04	तदैव
		द्वितीय	प0चि0अ0	01	880 / 12-ई-509-1 / 17 दिनांक 6-4-59
		तृतीय	वे0फा0	01	तदैव
		चतुर्थ श्रेणी	च0श्रे0	02	तदैव
		सफाई नायक	स0ना0	01	तदैव
		द्वितीय	प0चि0अ0	02	514 / 28-8-2 / 20-प / 81 दिनांक 18-2-82
		तृतीय	वे0फा0	02	तदैव
		चतुर्थ श्रेणी	च0श्रे0	04	तदैव
9	भेड एवं ऊन विकास	तृतीय	प0प्र0अ0	01	2828 / सी-2 / 4 दिनांक 25-5-64
		चतुर्थ	अनवाल	02	तदैव
		तृतीय	प0प्र0अ0	01	1467 / 28-8-89 / 2-110-प / 85 दिनांक 4-5-89
		चतुर्थ श्रेणी	मुख्य अनवाल	01	तदैव
			अनवाल	02	तदैव
		तृतीय	प0प्र0अ0	01	1139 / 28-8-2 / 110-प / 85 दिनांक 28-4-86

		चतुर्थ श्रेणी	अनवाल	02	तदैव
		तृतीय	प0प्र0अ0	03	4679 / 28-8-2 / 47-प / 82 दिनांक 18-3-83
		चतुर्थ	अनवाल	06	तदैव
		तृतीय	प0प्र0अ0	02	3393 / 28-8-2 / 110-प / 84 दिनांक 26-9-84
		चतुर्थ श्रेणी	अनवाल	04	तदैव
10	पशुचिकित्सालय एवं औषधालय	तृतीय	प0प्र0अ0	03	2612-28-3-85 / 2-132-प / 85 दिनांक 7-1-86
		तृतीय	प0प्र0अ0	02	1017 / 28-8-2 / 39-प / 82 दिनांक 22-1-83
		तृतीय	प0प्र0अ0	03	4142 / 26-8-2 / 18-प / 76 दिनांक 19-2-77
		तृतीय	प0प्र0अ0	02	1878 / 28-8-2 / 18-प / 76 दिनांक 28-11-77
		तृतीय	प0प्र0अ0	10	2418 / 28-8-2 / 132-प दिनांक 26-9-94
11	07-प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में नैसर्गिक अभिजनन केंद्रों की स्थापना	तृतीय	प0प्र0अ0	-	1335 / 28-8-2 / 29-प / 80 दिनांक 8-4-81
		चतुर्थ श्रेणी	साण्ड सेवक	04	तदैव
			साण्ड सेवक	03	2341 / 28-8-2-22-प / 87 दिनांक 1-1-89
			साण्ड सेवक	03	5103 / 28-8-87-2-42-प दिनांक 2-11-88
			साण्ड सेवक	02	3534 / 28-8-2-20-प / 85 दिनांक 23-1-86
			साण्ड सेवक	04	2080 / 28-8-86 / 22-प / 85 दिनांक 18-9-86
12	पशुचिकित्सालयों एवं औषधालयों	द्वितीय	प0चि0अ0	10	सामुदायिक विकास योजना अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर स्वीकृत
		तृतीय	वे0फा0	10	तदैव
		चतुर्थ श्रेणी	च0श्रे0	20	तदैव
		सफाई नायक	स0ना0	01	तदैव
13	पशुधन उत्पादन एवं सांख्यिकी	तृतीय	अनुवेशक कम संगणक	01	300 / 12-ई-40 / 26 / 70 दिनांक 01-4-70

## मैनुअल – 2

### अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

#### अधिकारियों कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य-

पद नाम	प्रशासकीय	वित्तीय	अन्य	कर्तव्य
पशुधन प्रसार अधिकारी	—	—	—	प्रचार प्रसार तथा योजनाओं का क्रियान्वयन
पशु चिकित्साधिकारी	—	—	—	कार्यक्रम क्रियान्वयन
मु0प0चि0अ0	प्रशासकीय	वित्तीय	—	<p>मु0प0चि0अ0 4440 –7440 ग्रेड वेतन 1300,1650</p> <p>5200–20200 ग्रेड वेतन 1900,2000,2400,2800</p> <p>9300–34800 ग्रेड वेतन 4200,4600,4800, 15600–39100, ग्रेड वेतन 6660, से नीचे वेतनमान, पा रहे अधि0/कर्मचारियों के पूर्ण रूपेण अधीनस्थ संस्था के नियन्त्रण अधिकारीहैं।सभी अधि0/कर्म0के वेतन आहरण करना, वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृति करना, समयमान वेतनमान स्वीकृत के प्रस्ताव उच्च स्तर से अनुपोदन की स्वीकृति प्राप्त करना,लघु एवं दीर्घ दण्ड, कमेटी कि संस्तुति पर देना तथा आकस्मिक अवकास स्वीकृत करना तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी प्रकार के अवकाश स्वीकृत करना।</p> <p>2. वित्तीय अधिकार – 15000 तक के किसी भी सामग्री के क्य का अधिकार बिना कोटेशन प्राप्त के कर सकते हैं।</p> <p>3. रू0 15000 से उपर रू0 1,00000 तक कि सामग्री को क्य हेतु तीन या उससे अधिक फर्मो से कोटेशन प्राप्त कर खोलने के उपरान्त कम्परेटिव चार्ट तैयार कर क्य के</p>

				<p>अधिकार।</p> <p>4. रू0 1,00000 से अधिक की सामग्री के क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित कर क्रय का अधिकार।</p> <p>5. रू0 1,00000 से उपर अपर निदेसक/सासन की स्वीकृति के उपरान्त क्रय के अधिकार।</p> <p>6. जी0पी0एफ0 आहरण का अधिकार – अपने कर्मचारियों/अधिकारियों का तीन माह के मूल वेतन के बराबर की धनराशि आहरित कर भुगतान का अधिकार। यदि सम्बन्धित के खाते मे धनराशि उपलब्ध है। उपरोक्त से अधिक धनराशि मागे जाने पर उच्च अधिकारियों को अग्रसारित करना।</p>
--	--	--	--	---

विभागीय कार्यक्रमों के संचालन हेतु जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी तथा पशुचिकित्सालयों हेतु पशुचिकित्साधिकारी के पद सृजित है, तथा जनपद मुख्यालय एवं पशुचिकित्सालयों के लिये सृजित पदों के पद धारकों के अधिकार एवं कर्तव्य निम्नवत् है।

### **(1) मुख्य पशु चिकित्साधिकारी**

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी जनपद में संचालित हो रही विभिन्न विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन हेतु उत्तरदायित्व होता है। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी जनपद में कार्यरत समस्त कार्मिकों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण रखना है। विभागीय योजनाओं के संचालन के क्रियान्वयन हेतु शासन से आबंटित धनराशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी मुख्य पशुचिकित्साधिकारी का है व विभागीय संस्थाओं का सामयिक निरीक्षण व अभिलेखों का उचित रखरखाव भी करना है।

### **2-पशुचिकित्साधिकारी**

पशुचिकित्साधिकारी का मुख्य कार्य क्षेत्रान्तर्गत पशुनस्ल सुधार कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना, पशुचिकित्सालय क्षेत्रान्तर्गत संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन अनुश्रवण करना, क्षेत्रान्तर्गत फेलने वाले रोगों की रोकथाम हेतु टीकाकरण करना साथ पशुचिकित्सालय क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियन्त्रण रखना है। पशुचिकित्साधिकारियों का यह भी दायित्व होता है कि वह विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले पशुओं के स्वास्थ्य की जाँच कर उनके सम्बन्ध में स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करे, पशु वधशालाओं में वध किये जाने वाले पशुओं के स्वास्थ्य की जाँच करना भी पशुचिकित्साधिकारी के कर्तव्यों में आता है। पशुचिकित्सालय व पशुसेवा केन्द्रों के भण्डार के वार्षिक सत्यापन व अभिलेखों का रखरखाव करना।

### **3-पशुधन प्रसार अधिकारी**

पशुधन प्रसार अधिकारी का मुख्य कार्य क्षेत्रान्तर्गत पशु नस्ल सुधार, टीकाकरण, चिकित्सा, बधियाकरण एवं चारा बीज वितरण का है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर पशुपालकों को विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्हें विभागीय योजनाओं के प्रति प्रेरित करना है। पशुधन प्रसार अधिकारी का यह भी कर्तव्य है कि वह क्षेत्र में फेलने वाले संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु समय-समय पर टीकाकरण करें और पशुओं में यदि कोई गम्भीर बीमारी फेली हो तो उससे उच्चाधिकारियों को अवगत करावें। पशुसेवा केन्द्र पर किये जाने वाले कार्यों की पंजिका का रखरखाव करना।

#### **4-पशुचिकित्सा फार्मसिस्ट**

पशुचिकित्सा फार्मसिस्ट का मुख्य कार्य पशुचिकित्सालय स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेखों का रखरखाव,पशुपालकों को पशुचिकित्साधिकारी द्वारा बताये गये नुख्खे के अनुसार बीमार पशुओं के उपचार हेतु दवा वितरण,बीमार पशुओं की ड्रैसिंग करना है।

#### **5-ड्रेसर**

पशुचिकित्सालय में आने वाले बीमार पशुओं की ड्रैसिंग एवं बीमार पशुओं के उपचार में पशुचिकित्साक की सहायता करना।

#### **6-वाहन चालक**

वाहन का रखरखाव करना ।

#### **7-अनुसेवक**

पशुचिकित्साधिकारी के निर्देशानुसार पशुचिकित्सालय में आने वाले बीमार पशु की देखरेख करना व पशुचिकित्सालय की व्यवस्था में सहयोग करना ।

#### **8- चारा विकास अधिकारी**

चारा विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत चारा बीज वितरण,चारा प्रदर्शन कराना,उन्नत नस्ल की घास की जडो का वितरण कराना व चारा विकास कार्यक्रम मुख्य पशुचिकित्साधिकारी एवं पशु चिकित्साधिकारी को आवश्यक सहयोग देना तथा विभिन्न पशुचिकित्सालयों में चारा प्रदर्शन कराकर पशुपालकों को चारा विकास कार्यक्रम अपनाये जाने हेतु प्रेरित करना ।

#### **9-अन्वेषक**

जनपद स्तर पर विभिन्न योजनाओ से सम्बन्धित आँकडो का संकलन करना,पशुगणना सम्बन्धी आँकडो का संकलित करना है ।

#### **10-लिपिक वर्गीय कर्मचारी**

जनपद स्तरीय कार्यालय में लिपिक वर्ग के विभिन्न पद धारक होते हैं जिन्हें पृथक-पृथक कार्य सौपा जाता है यथा प्रधान लिपिक का दायित्व गोपनीय पत्रों पर पत्राचार करना,वार्षिक प्रविष्टियों का रखरखाव करना एवं कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना,विभिन्न स्तरों से प्राप्त पत्रों को कार्यालयाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना तथा कार्यालय के विभिन्न पटल सहायको से प्राप्त पत्रावलियों को परीक्षण के उपरान्त कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करना है। कार्यालय के स्थापना लिपिक का कार्य अधिष्ठान में नियुक्त समस्त कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओ का रखरखाव करना,व्यक्तिगत पत्रावलियों का रखरखाव करना,कर्मचारियों के

सेवा सम्बन्धी समस्त प्रकरणों का निस्तारण करना है। कार्यालय के सहायक लेखाकार का कार्य शासन से आबंटित समस्त बजट का वित्तीय नियमों के परिपेक्ष्य में उपयोग सुनिश्चित करने हेतु कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्ताव प्रस्तुत करना, कार्यालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले सामान से सम्बन्धित बिलों की जाँच करना, यात्रा भत्ता बिलों की जाँच करना एवं वित्तीय नियमों के परिपेक्ष्य में उनके आहरण की कार्यवाही अपनाना है। कार्यालय के कैषियर सह स्टोरकीपर का मुख्य दायित्व विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत आहरित धनराशि का भुगतान सम्बन्धितों को वित्तीय नियमों के अनुसार करना है तथा कार्यालय हेतु कय सामग्री से सम्बन्धित स्टोर आदि का रखरखाव, एवं रोकड बही व स्टाक बुकों का रखरखाव एवं तत्सम्बन्धी कार्य करना है। कार्यालय में एक इन्डैक्सर एवं डिस्पैच लिपिक होता है जिसका मुख्य कार्य विभिन्न स्तरों से प्राप्त होने वाली डाक को प्राप्त करना एवं प्रेषित की जाने वाली डाक का प्रेषण एवं एवं डाक टिकट पंजिका आदि का रखरखाव करना है। कार्यालय में एक बिल लिपिक होता है, जिसका मुख्य कार्य वेतन बिल, यात्रा भत्ता बिल तैयार कर उन्हें परीक्षणोपरान्त वित्तीय नियमों के परिपेक्ष्य में आहरण हेतु आहरण वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करना है। कार्यालय में एक जी०पी०एफ० लिपिक होता है, जिसका कार्य अधिष्ठान में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की जी०पी०एफ० पास बुको का रखरखाव एवं सामान्य भविष्य निधि से अस्थाई/अन्तिम निश्कासन के स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार करना है। कार्यालय में एक पशुधन लिपिक होता है जिसका कार्य विभागीय योजनाओं से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों पर कार्यवाही करना, बैठके आयोजित करना, बैठको की अनुपालन आख्या तैयार करना, जिला योजना तैयार करना एवं विभागीय कार्यक्रमों एवं जिला योजना से सम्बन्धित मासिक प्रगति विवरणों को तैयार करना है।

## मैनुअल – 3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन  
की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण  
और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।

### 3.1 पशुपालन विभाग

पशुपालन विभाग की स्थापना जनपदों में श्वेत क्रांति एवं पालतू पशुओं के विकास की दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए की गई है। पूर्व में उ०प्रदेश शासन के अधीन विभाग कार्यरत था। वर्तमान समय में उत्तरांचल राज्य की स्थापना हो जाने के फलस्वरूप पशुपालन विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। वर्तमान में विभाग में राज्य स्तर पर अपर निदेशक, मण्डल स्तर पर उप निदेशक एवं जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी तथा विकास खण्ड स्तर पर पशु चिकित्साधिकारी एवं अधिक पशुधन वाले क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर पशुधन प्रसार अधिकारी कार्यरत हैं।

#### जनपद के अधीन कार्यरत संस्थाओं का विवरण—

क्र. सं.	कार्यरत संस्थायें	संख्या
1	पशु चिकित्सालय	40
2	अटल पशु सेवा केन्द्र	43
3	पशु सेवा केन्द्र	67
4	कृ०ग०केन्द्र/उपकेन्द्र	65
5	भेड एवं ऊन केन्द्र	08

#### 3.2 पशुपालन विभाग के अंतर्गत प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों/वैक्सीन, उपकरणों आदि के क्रय हेतु नीति निर्धारण :-

क्रय हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति, राज्य स्तरीय क्रय एवं दर अनुबंध समिति एवं जिला स्तरीय क्रय समिति का गठन एवं दायित्व निम्नवत् परिभाषित किया जाता है :-

#### राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, मुख्यालय पशुपालन विभाग उत्तरांचल   | अध्यक्ष      |
| 2. संयुक्त निदेशक/गौवध विकास/रोग नियंत्रण पशुपालन विभाग उत्तरांचल  | सदस्य—संयोजक |
| 3. औषधि नियंत्रक, उत्तरांचल अथवा उनके द्वारा नामित संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी                          | सदस्य        |
| 4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल, पशुधन विकास परिषद   | सदस्य        |
| 5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल भेड एवं ऊन विकास परिषद   | सदस्य        |
| 6. प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, कालेज आफ वैटनरी साइंस, पंतनगर विश्वविद्यालय, पंतनगर | सदस्य        |
| 7. प्रोफेसर ऑफ सर्जरी या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि कालेज ऑफ वैटनरी साइंस, पंतनगर विश्वविद्यालय पंतनगर    | सदस्य        |

यह समिति औषधियों/वैक्सीन/सर्जिकल उपकरण, गाज डेसिंग मेटिरियलो, तरल नत्रजन पात्रा, कृ०ग० प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों, अतिहिमीकृत वीर्य आदि की आवश्यकता के संदर्भ में

विशिष्टियों/मानकों को ध्यान में रखते हुए उनका चयन एवं मात्रा निर्धारण करेगी। इसके सदस्य-संयोजक समिति के सदस्यों को समस्त वांछित सूचनाएं समय से उपलब्ध करायेंगे। इसके सदस्य-संयोजक का भी यह दायित्व होगा कि इस समिति की बैठक के अनुमोदित कार्यवृत्त को सभी सदस्यों एवं शासन को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें तथा किसी सदस्य अथवा शासन द्वारा आपत्ति किये जाने पर नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करें एवं अंतिम रूप से चयनित सूचियों को राज्य स्तरीय क्रय एवं दर अनुबन्ध समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को ससमय प्रेषित करें।

### राज्य स्तरीय क्रय एवं दर अनुबन्ध समिति

1. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तरांचल	अध्यक्ष
2. उद्योग निदेशक, अथवा उद्योग निदेशक द्वारा नामित संयुक्त निदेशक, उद्योग	सदस्य
3. वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन द्वारा नामित वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं उनके समकक्ष स्तर का अधिकारी	सदस्य
4. शासन द्वारा नामित एक विषय विशेषज्ञ	सदस्य
5. औषधि नियंत्रक, उत्तरांचल द्वारा नामित एक अधिकारी /विषय विशेषज्ञ	सदस्य

## मैनुअल - 4

### कृत्यों के निर्वाहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड ।

विभागीय कार्यक्रमों की भौतिक प्रगति 2015-16 / जनपद-पौड़ी-गढ़वाल ।

क्र०सं०	मद का नाम	लक्ष्य	पूर्ति
1-	पशुचिकित्सा	230000	193844
2-	बधियाकरण	13800	9434
3-	कृ०ग०केन्द्र-गाय	25500	4816
	भैस	-	633
4-	उत्तपन्न संतति- गाय	11000	5449
	भैस	-	854
5-	प्राकृतिक गर्भाधान -गाय	2061	31
	भैस		30
6-	उत्पन्न संतति-गाय	1105	00
	भैस		00
7-	टीकाकरण	176000	190767
8-	छवापान	67900	53568
9-	दवा स्नान	61500	48193
10-	चारा बीज वितरण		
11-	वृक्षारोपण		4085
12-	अल्प बचत		1006510
13-	कुकुट वितरण		77098

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम,विनियम,अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

**ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित  
या उसके नियंत्रणाधीन है  
प्रयवर्गों का विवरण।**

1. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी नियंत्रण अधिकारी हैं जिनके नियंत्रण में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी हैं –
- क. पशु चिकित्साधिकारी  
ख. पशुधन प्रसार अधिकारी  
ग. मुख्य वेटनरी फार्मसिस्ट  
घ. वेटनरी फार्मसिस्ट  
ड. लिपिक वर्ग  
च. ड्रेसर  
छ. प्रयोगशाला सहायक  
ज. चारा पर्यवेक्षक  
झ. वाहन चालाक  
ट. अन्वेषक कम संगणक  
ठ. चतुर्थ श्रेणी

दस्तावेजों प्राधिकारी के पास या उनके नियन्त्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

क्र०स०	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम/परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारक/नियन्त्रणाधीन
1	लेखा	1- बजट आंक्टन सम्बन्धी पत्रावली 2- बजट अनुमान पत्रावली 3- बचत एवं व्याधिक्य 4- सासनादेस एवं सकुर्लर पत्रावली 5- भौतिक सत्यापन पत्रावली 6- विभागीय आडिट पत्रावली 7- महालेखाकार आडिट पत्रावली 8- विविध पत्रों की पत्रावली 9- बजट पंजिका 10- कन्टिजैन्सी बिल रजिस्टर/नान प्लान 11- कन्टिजैन्सी रजिस्टर प्लान 12- टी०ए० चैक रजिस्टर 13- टी०ए० बिल रजिस्टर 14- यात्रा स्वीकृत रजिस्टर 15- यात्रा भत्ता पत्रावली		

		16-शासनादेस की पत्रावली		
2	कैस	1- 11 सी रजिस्टर 2- ट्रेजरी गार्ड रजिस्टर 3- नकद/चैक भुगतान पंजिका 4- कैस बुक 5- ट्रेजरी से प्राप्त चैक पंजिका 6- बैंक ड्राफ्ट प्रेषण पंजिका 7- बैंक ड्राफ्ट प्राप्त पंजिका 8- प्राप्ति पंजिका 9- ट्रेजरी चालान पंजिका 10- एस0पी0एस0 पंजिका 11- कैस की ड्रुप्लीकेट चाबियों की पंजिका 12- रसीद बुक 13- वेतन सम्बन्धी पंजिका 14- सामान्य पत्र व्यवहार 15- राष्ट्रीय बचत पत्रावली 16- मासिक आय विवरण पंजिका 17- व्यय विवरण पत्रावली नान प्लान 18- व्यय विवरण पत्रावली प्लान 19- बी0एम0 - 8 पंजिका 20- व्यय मिलान पत्रावली 21- विद्युत पंजिका 22- स्टेसनरी पंजिका 23- जी0पी0एफ0 लेजर चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी 24- जी0पी0एफ0 बिल रजिस्टर		
3	स्थापना सम्बन्धी पत्रावली	1- वार्षिक वेतन वृद्धि पंजिका 2- न्यायालय से सम्बन्धित पंजिका		

### स्थापना:- पत्रावलियों से सम्बन्धित ।

- पशु चिकित्साधिकारी एवं पशुधन प्रसार अधिकारियों/वेटनरी फार्मिस्टों की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावलियों का रख-रखाव तथा पत्राचार ।
- पशु चिकित्साधिकारियों एवं पशुधन प्रसार अधिकारियों/वेटनरी फार्मिस्टों के प्रकरणों सम्बन्धी पत्राचार ।
- स्थापना सम्बन्धी कार्य ।
- चतुर्थ श्रेणी एवं श्रेणी-3 के कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का रख-रखाव एवंत द सम्बन्धी पत्राचार ।
- पेंसन प्रकरण का निस्तारण एवं पत्राचार ।
- आडिड सम्बन्धी कार्य किया जाना है ।

### बिल कक्ष-

- अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन आदि आहरण करने सम्बन्धी कार्य ।
- अवेसस भुगतान का एरियर आदि का भुगतान सम्बन्धी कार्य ।
- श्रेणी-दों एवं श्रेणी-3 के अधिकारी एवं कर्मचारियों की सामान्य खातों का रख-रखाव आदि रखना ।

### यात्रा सम्बन्धी/सा0भ0निधि-

- 1- टी0ए0 चैक पंजिका का रख-रखाव एवं विलों का आहरण करने सम्बन्धी कार्यवाही ।
- 2- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सा0भ0 का रख-रखाव एवं पत्राचार सम्बन्धी कार्यवाही

- चारा-सम्बन्धी- 1- विभागीय एवं भारत सरकार द्वारा प्राप्त चारा बीजों का वितरण ।
- मासिक प्रगति ।
  - स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना सम्बन्धी पत्रावली ।
  - एस0जी0वाई0एस/स्वर्ण जयन्ती सम्बन्धी पत्रावली ।
  - महिला उत्थान योजना मे मृत पसवों के बीमा सम्बन्धी ।
  - डेयरी/पोल्ट्री वैचर से सम्बन्धी पत्रावली ।

अन्वेषक कम संगणक - क्षेत्र मे फ्यु गणना का कार्य करना तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन भेजना ।

पचुधन - मासिक, त्रैमासिक , वार्षिक प्रतिवेदन पत्रावलियां/पंजिकाएँ, बैठक सम्बन्धी पंजिका, रोगों से सम्बन्धी सूचना की पंजी एवं पत्रावली, जिला योजना की वित्तीय/भौतिक प्रगति पंजिका एवं पत्रावली, यू0एल0डी0पी0/आई0एस0डी0पी0 से सम्बन्धित पंजिका एवं पत्रावली ।

## मैनुअल – 7

किसी व्यवस्था के विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है।

## मैनुअल – 8

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है, कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या ऐसे बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।

### 8.1 उत्तरांचल लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

- **सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता ?**  
उत्तरांचल लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड, 233/1, वसन्त विहार, देहरादून-248006
- **सम्बद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य) ?**  
सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनि यम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत समिति।
- **सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य) ?**
  - ✚ **स्थापना** – जुलाई 2002
  - ✚ **मुख्यालय** – 233/1, वसन्त विहार, देहरादून।
  - ✚ **पंजीकरण संख्या**–343 दिनांक 27.06.2001 (सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत)।

#### उद्देश्य :

- पशु प्रजनन एवं पशुधन विकास से सम्बन्धित संस्थागत ढांचा में सुधार, उनके उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि एवं तत्सम्बन्धी नई संस्थाओं की स्थापना कर ऐसे निवेश से लाभ प्राप्त करने में राज्य सरकार को सलाह एवं सहायता करना।
- राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर गाय एवं भैंसों हेतु राज्य की पशु प्रजनन नीति के अनुरूप कार्यक्रम तैयार करके पशु उत्पादन एवं गुणवत्ता में निरन्तर वृद्धि करना।
- गैर सरकारी संस्थाओं (सहकारी समितियों, गोषालाओ, ट्रस्टों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं) आदि को संगठित / प्रोत्साहित करके गुणात्मक प्रजनन सामग्री का उत्पादन/उपार्जन करना एवं लाभार्थी /कृषकों के द्वार पर ही पशुप्रजनन सेवाएं उपलब्ध कराना।
- अतिहिमीकृत वीर्य एवं तरल नत्रजन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं सुचारु रूप से सुव्यस्थित कर निरन्तर आपूर्ति करना।
- गाय एवं भैंसों को आधुनिक तकनीकों के अनुसार रख-रखाव व पालन-पोषण करके देशी एवं संकर नस्ल के उच्च प्रजाति/गुणवत्ता के सांड नैसर्गिक अभिजनन हेतु तैयार करना।

#### मुख्य कृत्य :

सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य के पशुधन (गाय एवं भैंस) के प्रजनन एवं पशु-प्रबन्धन को नवीनतम तकनीकों द्वारा प्रोत्साहित कर बढ़ावा देना एवं इससे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों को स्वावलम्बी बनाकर पशुधन उत्पादों में वृद्धि करना है। इसके साथ-साथ उत्तरांचल शासन द्वारा राज्य में चारा उत्पादन को बढ़ावा देने सम्बन्धी कार्य भी वित्तीय वर्ष 2004-05 में यू.एल.डी.बी. को सौंपा गया है, जिसका कार्यान्वयन भी किया जा रहा है।

- **स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य ?**

**स्वरूप** : उत्तरांचल सरकार का एक उपक्रम।

#### वर्तमान सदस्य :

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तरांचल शासन (पदेन) | अध्यक्ष   |
| 2. श्री मनीश वर्मा, 10 गांधी मार्ग, देहरादून (नामित)                        | उपाध्यक्ष |
| 3. अपर सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तरांचल शासन (पदेन)                           | सदस्य     |
| 4. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तरांचल (पदेन)                              | सदस्य     |
| 5. निदेशक, डेयरी विकास विभाग, उत्तरांचल (पदेन)                              | सदस्य     |

6. परियोजना निदेशक, डी.आर.डी.ए. देहरादून (पदेन)	सदस्य
7. अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पंतनगर विष्वविद्यालय (पदेन)	सदस्य
8. आई.वी.आर.आई. मुक्तेश्वर (नैनीताल) के प्रतिनिधि	सदस्य
9. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
10. बायफ, के प्रतिनिधि	सदस्य
11. संयुक्त सचिव (एल.पी.एण्ड एफ) भारत सरकार (कृषि मंत्रालय) पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रतिभागी	सदस्य
12. डा0 जी.के. उप्रेती, विशेषज्ञ पशुधन	सदस्य
13. श्री मोहन चन्द्र दुर्गापाल, विशेषज्ञ चारा विकास	सदस्य
14. श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट, (उत्तरांचल दुग्ध संघों के प्रतिनिधि)	सदस्य
15. डा.एच.सी.जोषी, अध्यक्ष ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति (प्रतिनिधि एन.जी.ओ.)	सदस्य
16. श्री मोहन सिंह बिष्ट, (प्रतिनिधि गोशाला )	सदस्य
17. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल सहकारी डेयरी फेडरेशन हल्द्वानी (पदेन)	सदस्य
18. मुख्य अधिषासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी.(पदेन)	सदस्य / सचिव

● **मुख्य अधिकारी का नाम ?**

डा0 कमल सिंह

● **मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते ?**

1. मुख्यालय — 233 / 1, वसन्त विहार, देहरादून-248006

2. शाखा कार्यालयी इकाइयों :

क. डी0एफ0एस0, श्यामपुर — अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, ऋषिकेश-हरिद्वार बाई पास मार्ग, ऋषिकेश, श्यामपुर-ऋषिकेश, जनपद-देहरादून ।

ख. प्रशिक्षण केन्द्र — यू0एल0डी0बी0 प्रशिक्षण केन्द्र, ऋषिकेश, गंगा बैराज मार्ग, ऋषिकेश, जनपद-देहरादून ।

ग. चारा बैंक — यू0एल0डी0बी0 चारा बैंक, लक्कड़ घाट मार्ग, ऋषिकेश, जनपद- देहरादून ।

घ. ई0टी0स्टेट सेन्टर — भ्रूण प्रत्यारोपण स्टेट सेन्टर, लालकुआं, दुग्ध संघ परिसर, लालकुआं (नैनीताल)

ड. सीमेन बैंक — यू0एल0डी0बी0 सीमेन बैंक, नैनीताल दुग्ध सं घ के निकट, लालकुआं (नैनीताल)

च. पशुप्रजनन फार्म — पशुप्रजनन फार्म कालसी, जनपद-देहरादून

**बैठक की आवृत्ति ?**

वार्षिक सामान्य बैठक — वर्ष में एक बार ।

साधारण सामान्य बैठक — आवश्यकतानुसार ।

असाधारण सामान्य बैठक — आवश्यकतानुसार ।

अधिशासी कमेटी बैठक — त्रैमासिक ।

● **क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ?**

नहीं ।

● **क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार किये जाते हैं ?**

हां ।

● **क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ?**

**यदि हां, तो उसकी प्रक्रिया ?**

हां, जनसामान्य की मांग पर नियमानुसार ।

## 8.2 उत्तरांचल शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड

उद्देश्य: उत्तरांचल में भेड़ों की मृत्यु दर कम करने हेतु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम संचालन बीमारियों की रोकथाम, टीकाकरण तथा नस्ल सुधार कर भेड़पालकों द्वारा उत्पादित ऊन एवं अन्य उत्पाद का उचित मूल्य दिलाकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना। नई तकनीक की जानकारी देकर भेड़ पालन व्यवसाय के प्रति जागरूक करना तथा उनके स्वयं सहायता समूह/संगठन/समितियां बनाने में सहयोग करना।

परिचय:

- ' स्थापना – अक्टूबर 2003
- ' मुख्यालय – देहरादून
- ' पंजीकरण संख्या – 1998 दिनांक 31-10-2003 (सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम सं01890 के अन्तर्गत)।

संचालित कार्यक्रम:-

- ' बोर्ड द्वारा 12 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, 01 अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, 05 अंगोरा शषक प्रजनन प्रक्षेत्र, 01 ऊन श्रेणीकरण/कय-विकय केन्द्र तथा 03 सचल बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों को पशुपालन विभाग के सहयोग से संचालित करना।
- ' चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम-भेड़ों में दवापान, दवास्नान, चिकित्सा, निकृष्ट मेढों में बधियाकरण तथा भेड़ों का टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करना।
- ' नस्ल सुधार कार्यक्रम-राज्य के प्रगतिशील भेड़पालकों को उनकी भेड़ों के नस्ल सुधार हेतु उन्नत प्रजनन हेतु मेढों का निःशुल्क वितरण।

उत्पादकता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत:-

- ' भेड़ों को ऊन कतरन से पूर्व नहलाया जाने हेतु भेड़पालकों को शिक्षित/जागरूक करना।
- ' ऊन ग्रेडिंग कार्यक्रम में भेड़ों से प्राप्त ऊन की प्राथमिक ग्रेडिंग का कार्य प्रारम्भ करना।
- ' मशीन द्वारा ऊन कतरने/काटने के लिए भेड़पालकों को शिक्षित एवं जागरूक करना।
- ' उत्पादित होने वाली ऊन के विपणन में भेड़पालकों को अपेक्षित सहायता एवं मार्ग दर्शन देना
- ' भेड़ पालकों को ग्राम स्तर पर भेड़ों से सम्बन्धित नवीनतम तकनीक की जानकारी देना, भेड़ों के प्रबन्धन, प्रमुख रोग एवं उनका निदान तथा मशीन द्वारा ऊन कतरन आदि विषयों पर भेड़पालकों प्रशिक्षित/जागरूक/शिक्षित करना।
- ' भेड़ पालकों के स्वयं सहायता समूह गठन तथा गैर राजकीय संस्थाओं के चयन/गठन में सहयोग करना।
- ' कालसी (देहरादून), मुनिकीरेती (टेहरी), डुण्डा (उत्तरकाशी), मुन्स्यारी (पिथौरागढ़) ग्वालदम (चमोली) में पांच नये भेड़ बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों की स्थापना कर उन्हें संचालित कर

## उत्तरांचल शासन

### पशुपालन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास विभाग

संख्या 568 / ए0म0दु0-उ0वि0यो0 / 2003 / 2003

### कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल राज्य में उत्तरांचल भेड एवं ऊन विकास बोर्ड को क्रियान्वित करने हेतु श्री राज्यपाल उत्तरांचल भेड एवं ऊन विकास बोर्ड के निम्नवत गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उत्तरांचल भेड एवं ऊन विकास बोर्ड का मुख्यालय देहरादून होगा।

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. माननीय पशुपालन मंत्री जी उत्तरांचल   | पदेन अध्यक्ष      |
| 2. सचिव, पशुपालन उत्तरांचल शासन   | पदेन उपाध्यक्ष    |
| 3. अपर सचिव, पशु पालन, उत्तरांचल शासन   | पदेन सचिव / सदस्य |
| 4- प्रमुख, सचिव, वित्त उत्तरांचल शासन   | पदेन सदस्य        |
| 5- सचिव, उद्योग उत्तरांचल शासन  | पदेन सदस्य        |
| 6- मुख्य कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय भेड एवं ऊन विकास बोर्ड<br>कपडा मंत्रालय भारत सरकार | पदेन सदस्य        |
| 7- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग उत्तरांचल                              | पदेन सदस्य        |
| 8- प्रबन्ध निदेशक, गढवाल विकास निगम, उत्तरांचल  | पदेन सदस्य        |
| 9. प्रबंध निदेशक, कुमायू मण्डल विकास निगम, उत्तरांचल                                    | पदेन सदस्य        |

(ओम प्रकाश )

सचिव

वन एवं ग्राम्य विकास शाखा

पशुपालन विभाग

उत्तरांचल शासन

संख्या 256 / 11 / व0ग्रा0वि0 / प0पा0-यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 / 773(2) / 2004

देहरादून दिनांक 16 अप्रैल 2004

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश सं0568 / प0मु0दु0-ऊ0वि0बो0 / 03 दिनांक 29-10-03 शासनादेश सं056 / 11 / र्.श्र.व. / प.पा. / 1050 / यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 / 2003 दिनांक 19.01.04 शासनादेश सं0 26 / पशुपालन / 04 दिनांक 19.02.04 एवं शासनादेश सं0 25 / पशुपालन / 04 दिनांक 19.02.04 के संदर्भ में यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 की बैठक दिनांक 23.02.04 से हुये निर्णय के क्रम में श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड की गवर्निंग बौडी को निम्नवत पुर्नगठित करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं ।

- |   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| 1.माननीय पशुपालन मंत्री जी उत्तरांचल सरकार( पदेन)   | - | अध्यक्ष           |
| 2.श्री कीर्ति सिंह नेगी,नई टिहरी (टिहरी गढवाल)  | - | कार्यकारी अध्यक्ष |
| 3.डा0एस0पी0एस0रावत,स्यूंसी(पौडी गढवाल)  | - | उपाध्यक्ष         |
| 4.प्रमुख सचिव,वित्त उत्तरांचल शासन( पदेन)   | - | सदस्य             |
| 5.सचिव,पशुपालन विभाग,उत्तरांचल शासन (पदेन)  | - | सदस्य             |
| 6.सचिव,उद्योग उत्तरांचल शासन (पदेन)   | - | सदस्य             |
| 7.सचिव,वन पर्यावरण एवं जलागम,उत्तरांचल शासन(पदेन)   | - | सदस्य             |
| 8.कार्यकारी निदेशक,केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड,वस्त्र मंत्रालय,भारत सरकार (पदेन)अथवा उनके नामित प्रतिनिधि  | - |                   |
| 9.अपर सचिव,पशुपालन,उत्तरांचल शासन (पदेन)  | - | सदस्य             |
| 10.मुख्य कार्यपालक अधिकारी,खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तरांचल(पदेन)   | - | सदस्य             |
| 11.प्रबन्ध निदेशक,गढवाल मण्डल विकास निगम,देहरादून(पदेन)   | - | सदस्य             |
| 12.प्रबन्ध निदेशक,कुमायू मण्डल विकास निगम,नैनीताल(पदेन)   | - | सदस्य             |
| 13.निदेशक,केन्द्रीय भेंड एवं ऊन अनुसंधान संस्था अंबिकानगर   | - |                   |
| राजस्थान पदेन अथवा उनके प्रतिनिधी   | - | सदस्य             |
| 14-अर निदेशक पशुपालन (उत्तरांचल)पदेन  | - | सदस्य             |
| 15-रक्षा कृषि अनुसंधान प्रयोगशाला(डी0ऐ0आर0एल0),पिथौरागढ़ के प्रतिनिधी पदेन-   | - | सदस्य             |
| 16-मुख्य अधिशासी अधिकारी,यू0एल0डी0बी0,देहरादून- पदेन -  | - | सदस्य             |
| 17-निदेशक, हाईफेड, रानीचौरा, टिहरीगढवाल-  | - | सदस्य             |
| 18-उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी तथा चम्पावत जनपदोंसे एक-एक प्रगतिशील जिनका नामांकन अध्यक्ष की सहमति से यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0 द्वारा किया जायेगा- | - |                   |
| 19-मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्ल्यू0डी0बी0,देहरादून-  | - | सदस्य / सचिव      |

13-यू0एस0डब्लू0डी0बी0 की उपरोक्त बैठक दिनांक 23.2.2004 के निर्णय संख्या -9 के अनुसार राज्यपाल ,उत्तरांचल शीप एण्ड वूल डेपलेमेट बोर्ड की अधिशासी कमेटी का पुर्नगठन निम्नवत किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

1-सचिव, पशुपालन विभाग,उत्तरांचल षासन-पदेन	अध्यक्ष
2-अपर सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तरांचल षासन-पदेन	उपाध्यक्ष
3-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तरांचल-पदेन	सदस्य
4-मुख्य अधिशासी अधिकारी,यू0एल0डी0बी0-पदेन-	सदस्य
5-निदेशक, उद्योग, उत्तरांचल अथवा उनके प्रतिनिधी-	सदस्य
6-प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल, विकास निगम अथवा उनके प्रतिनिधी-	सदस्य
7-प्रबन्ध निदेशक, कुमायूं मण्डल विकास निगम अथवा उनके प्रतिनिधी-	सदस्य
8-महाप्रबन्धक, खादी ग्रामो उद्योग बोर्ड अथवा उनके प्रतिनिधी-	सदस्य
9-मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्लू0डी0बी0 पदेन-	सदस्य/सचिव

## 8.3 उत्तरांचल पशुकल्याण बोर्ड

1-स्थापना-

2004

2-मुख्यालय-

पशुलोक-ऋषिकेश, देहरादून, लेन नं.1 डी-26 शास्त्रीनगर,हरिद्वार रोड, देहरादून

3-पंजीकरण संख्या-

दिनांक (सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत )

उद्देश्य:-

(1)उत्तरांचल राज्य के पशुओं के कल्याण एवं उन पर हो रहे अत्याचार को रोकने, पालतू पशुओं को अनुत्पादक होने पर लावारिस हालत में छोड़ने पर संरक्षण दिलाने, पालतू एवं अन्य जीवों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने तथा पशुओं की दशा सुधारने हेतु उत्तरांचल सरकार द्वारा मा0सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशन पर उत्तरांचल राज्य पशुकल्याण बोर्ड की स्थापना ।

(2)बोर्ड निगम निकाय होगा और उसका साश्वत उत्तराधिकार होना एक सामान्य मुद्रा/मुहर होगी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की उसको शक्ति होगी । आवश्यकतानुसार अपने नाम से बाद चला सकता है या उसके नाम पर बाद चलाया जा सकता है ।

मुख्य कृत्य:-

(क)जीव जन्तुओं के प्रति क्रूरता निवारण हेतु भारत में प्रवृत्त विधि का अध्ययन करता रहे और ऐसी किसी बिधि में समय-समय पर किये जाने वाले संशोधनों की वावत राज्य सरकार को सलाह दें ।

(ख)जीव जन्तुओं को समान्यताया या विषिष्टतया जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए परिवाहन किये जा रहे हों या जब वे अभिनयकर्ता जीव जन्तु के रूप में प्रयुक्त किये जा रहे हों या जब वे बन्धन या प्रतिरोध में रखे गये हों तब अनावश्यक पीड़ा या यातना से बचाने की दृष्टि से इस नियम के अधीन नियम बाने वावत राज्य सरकार को सलाह दें ।

(ग)भास्वाही जीव जन्तुओं पर भार कम करने के लिए यानों के डिजाइनों में सुधार, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्ति को सलाह दें ।

(घ)षेड़ों, जलनादों और तद्रूप चीजों का सन्निर्माण प्रोत्साहित या उपबन्धित करने, जीव जन्तुओं के लिए पशु चिकित्सा सहायता उपबन्धित करने, पशुओं की बेहतरी के लिए उपाय करने हेतु जैसा बोर्ड ठीक समझे वैसा उपाय करें ।

(ङ)बधालयों की डिजायन या बधालयों को चलाने या जीव जन्तुओं के बध के संबन्ध में सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति को सलाह दें । तांकि जहां तक सम्भव हो पशु को वध से पहले के कार्यक्रम में अनावश्यक शारीरिक या मानसिक पीड़ा न हो । जहां की जीव जन्तुओं को मार देना आवश्यक हो वहां यथा सम्भव मानवोचित रीति से किया जायें ।

(च)जब कभी अवांछनीय जीवन जन्तु को नष्ट किया जाना आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा या तो तुरन्त किया जाय सया जीव जन्तु को अचेत करके किया जाय या जैसा बोर्ड उचित समझे वैसा उपाय करें ।

(छ)ऐसे "पिंजरापोलों" बचावगृहों, पशुआश्रमों,पशुवनों अन्य स्थानों जहां पशुपक्षी बूढ़े व बेकार हो जाने पर या जब उन्हें संरक्षण की आवश्यकता हो तब धरण पा सकें इस हेतु भवन आदि के निर्माण या स्थापना के एि वित्तीय सहायता के रूप में अनुदान दें या अन्यथा प्रोत्साहित करें ।

(ज)जीव जन्तु को अनावश्यक पीड़ा या यातना से बचाने के लिए या जीव जन्तु तथा पक्षियों की संस्था क लिए स्थापित संस्थाओं या निकायो के साथ सहयोग एवं उनके कार्यों का समन्वय करें

(झ)स्थानीय क्षेत्रों में कार्यशील जीव जन्तु कल्याण संगठनों को वित्तीय या अन्य सहायता दें या किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसैं जीव जन्तु कल्याण संगठनों का बनाया जाना प्रोत्साहित करें । जो बोर्ड के साधारण पर्यवेक्षण एवं प्रदर्शन के अधीन कार्य करें ।

(ञ)जीव जन्तु अस्पतालों में जिस चिकित्सकीय देखरेख एवं सावधानी का उपबन्ध हो उससे सम्बन्धित विषयों पर सरकार को सलाह दें और जब कभी कोई आवश्यक समझे जीव अस्पतालों को वित्तीय या अन्य सहायता दें ।

(ट)जीव जन्तुओं के साथ मानवोचित वरताव करने के उद्देश्य से शिक्षा /प्रशिक्षण दें, जीव जन्तुओं को अभिवर्धन के पक्ष में भाशणों, पुस्तकों, पोस्टरों या चल चित्र प्रदर्शनों एवं उपलब्ध साधनों के द्वारा लोकमत या अन्य सहायता दें ।

(ठ)जीव जन्तु के कल्याण व अनावश्यक पीड़ा यातना देने के निवारण हेतु किसी भी विषय पर सरकार को सलाह दें ।

प्रारूप एवं वर्तमान सदस्य: स्वरूप:उत्तरांचल सरकार का एक उपक्रम

वर्तमान सदस्य:—

(1)मा0मंत्री महोदय पशुधन एवं मत्स्य उत्तरांचल	प्रदेष अध्यक्ष
(2)राज्य सरकार द्वारा नामित (पशुकल्याण के आधार पर)	उपाध्यक्ष
(3)सचिव/अपर सचिव पशुधन एवं मत्स्य उत्तरांचल शासन	पदेन सचिव
(4)निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तरांचल	सदस्य
(5)मुख्य वन जीव संरक्षक उत्तरांचल	सदस्य
(6)गौशाला के 10 (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
(7)पांच पशुप्रेमी (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
(8)समाज सेवी संस्थाओं के "दो"सदस्य जो पशुकल्याण का कार्यकर रहे (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
(9)प्रमुख सचिव, गृह उत्तरांचल षासन	सदस्य

(10)निदेशक, स्थानीय निकाय उत्तरांचल राज्य	सदस्य
(11)जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरांचल का एक प्रतिनिधि (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
(12)विधान सभा के दो मा0विधायक (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
(13)सेवा निवृत्त न्यायाधीश, न्यायिक सेवा/प्रशासनिक सेवा से जुड़े द्वारा नामित)	दो प्रतिनिधि (उत्तरांचल सरकार सदस्य

## मैनुअल – 9

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

## मुख्य पशुचिकित्साधिकारी एवं पशुचिकित्सा अधिकारी पौडी

क्र० स०	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	सम्पर्क नम्बर	संस्था का नाम
1	डा० राजेन्द्र कुमार	मु०प०चि०अ०	223084	मु०प०चि०अ० पौडी
2	डा० दिव्या नेगी	प०चि०अ०	9410907535	प०चि० डडुवादेवी
3	डा० अजित प्रताप सिंह	प०चि०अ०	9450721111	प०चि० खिर्सू
4	डा० मनजीत सिंह	प०चि०अ०	9720769344	प०चि० कलालघाटी
5	डा० विक्रान्त गिल	प०चि०अ०	9456454670	प०चि० कोट
6	डा० बिपुलजैन	प०चि०अ०	9456483544	प०चि० जयहरीखाल
7	डा० विशन कुमार तोमर	प०चि०अ०	9412385359	प०चि० पाबौ
8	डा० मंजूपाल	प०चि०अ०	941220788	प०चि० दुग्डडा
9	डा० बी०एम०गुप्ता	प०चि०अ०	9412997712	प०चि० चैलूसैण
10	डा० डी०के०शर्मा	प०चि०अ०		प०चि० यमकेश्वर
11	डा० नीरजकुमार पचौरी	प०चि०अ०	9456445982	प०चि० सतपाली
12	डा० प्रेमा ध्यानी	प०चि०अ०	9410191716	कु०प्र० कोटद्वार
13	डा० बी०डी०ढोंडियाल	प०चि०अ०	8979445272	प०चि० रिखणीखाल
14	डा० विजयपाल सिंह	प०चि०अ०	9412984364	प०चि० पौडी
15	डा० अमित ध्यानी	प०चि०अ०	9411164719	प०चि० कोटद्वार
16	डा० हिमाशु पांगती	प०चि०अ०	9411125491	प०चि० धुमाकोट
17	डा० मनाली पन्त	प०चि०अ०	9457011132	सचल कोटद्वार
18	डा० दीक्षा रावत	प०चि०अ०	9410908265	प०चि० बुलेखाखाल
19	डा० शालिनी पाण्डेय	प०चि०अ०	9536260040	प०चि० सतपुली
20	डा० राजेश कुमार	प०चि०अ०	9410949621	प०चि० काण्डाखाल
21	डा० शिवानी चौहान	प०चि०अ०	9410349849	रोग प्रयो.कोटद्वार
22	डा० अमित कुमार	प०चि०अ०	9456101336	प०चि०अ० मोहनचटटी
23	डा० निधि विष्ट	प०चि०अ०	9458354336	प.चि.थलनदी
24	डा० डी०सी०एस०रावत	रो०अनु०अधि०	9412907051	कोटद्वार
25	डा० अभय कुमार	उ०मु०प०चि०अ०	8859002124	मुख्यालय

26	डा0 सुमित कौर	प0चि0अ0	9756204592	प0चि0 देवलगढ
27	डा0 आशा सामंत	प0चि0अ0	8958940478	प0चि0 कोलादरिया
28	डा0 किरन रावत	प0चि0अ0	9458359356	प0चि0 कटूडवडा
29	डा0 शैल निधि	प0चि0अ0	9568597293	प0चि0 धुमाकोट
30	डा0 धीरज अधिकारी	प0चि0अ0	9760474956	प0चि0 रीठाखाल
31	डा0सुनिल कुमार अवस्थी	प0चि0अ0		प0चि0एकेश्वर
32	डा0रजनीश पाण्डेय	प0चि0अ0		प0चि0श्रीनगर
33	डा0भूपेन्द्र सिंह	प0चि0अ0		प0चि0थलीसैण
34	डा0अजयपाल असवाल	प0चि0अ0	9411125491	प0चि0बीरोखाल

## कार्यालय स्टाफ

1	श्री पूर्ण सिंह रावत	वरिष्ठ प्रशासनिक अधि०	कार्या०मु०प०चि०अधि०पौड़ी	9557010995
2	श्री गुणा नन्द	प्रशासनिक अधिकारी	कार्या०मु०प०चि०अधि०पौड़ी	8979343658
3	श्री मनमोहन सिंह रावत	प्रधान सहायक	कार्या०मु०प०चि०अधि०पौड़ी	7895668341
4	श्री हरीशचन्द्र	लेखाकार	कार्या०मु०प०चि०अधि०पौड़ी	7895731025
5	श्रीमती विनय लक्ष्मी रावत	मुख्य सहायक	कार्या०मु०प०चि०अधि०पौड़ी	8477081646
6	श्री प्रेम सिंह राणा	वरिष्ठ सहायक	कार्या०मु०प०चि०अधि०पौड़ी	9927660712
7	श्री गणेश चन्द्र बमोला	वरिष्ठ सहायक	कार्या०मु०प०चि०अधि०पौड़ी	9410744155
8	श्री अनूप कुमार	कनिष्ठ सहायक	कार्या०मु०प०चि०अधि०पौड़ी	9837642606
9	श्री दिनेश चन्द्र	कनिष्ठ सहायक	कार्या०मु०प०चि०अधि०पौड़ी	9456392269
10	श्री जगदीश सिंह	वरिष्ठ सहायक	कार्या०मु०प०चि०अधि०पौड़ी	9897096687
11	श्री दीपक सिंह रावत	कनिष्ठ सहायक	कार्या०मु०प०चि०अधि०पौड़ी	9719152261
12	श्री पुनीत विष्ट	कनिष्ठ सहायक	कार्या०मु०प०चि०अधि०पौड़ी	9690638947
13	श्री विवेक कुमार	कनिष्ठ सहायक	कार्या०मु०प०चि०अधि०पौड़ी	8979538665
14	श्री भगवान सिंह रावत	कनिष्ठ सहायक	कार्या०मु०प०चि०अधि०पौड़ी	9897720692
15	श्री गुलशन कुमार	अन्वे० कम संगणक	कार्या०मु०प०चि०अधि०पौड़ी	9758867159
16	श्री नागेन्द्र प्रसाद	वाहन चालक	कार्या०मु०प०चि०अधि०पौड़ी	9897871324
17	श्री अनुसूया प्रसाद	अनुसेवक	कार्या०मु०प०चि०अधि०पौड़ी	9897597386
18	श्री प्रकाशसिंह	प०स०	कार्या०मु०प०चि०अधि०पौड़ी	223084
19	श्री अरविन्द कुमार	प०स०	कार्या०मु०प०चि०अधि०पौड़ी	223084
20	श्री धीरेन्द्र सिंह	अनुसेवक	कार्या०मु०प०चि०अधि०पौड़ी	8979852226
21	श्री आशीष कुमार	अनुसेवक	कार्या०मु०प०चि०अधि०पौड़ी	97979219661

**वैटनरी फार्मसिस्ट**

1	श्री दलजीत सिंह	वै०फार्मे०	पौड़ी
2	श्री हेमन्तसिंह	वै०फार्मे०	सतपुली
3	श्री डी०सी० धस्माना	वै०फार्मे०	कमलपुर
4	श्री राजेन्द्र प्रसाद थलेडी	मु०वै०फार्मे०	केन्द्रीय भण्डार पौड़ी
5	श्री रामस्वरूप कोटनाला	वै०फार्मे०	रिखणीखाल
6	श्री विक्रमसिंह विष्ट	वै०फार्मे०	कोटद्वार
7	श्री हरेन्द्रसिंह चौहान	वै०फार्मे०	कोटडीसैण
8	श्री मनोज कुमार जोशी	वै०फार्मे०	दुगड्डा
9	श्री रमेश यादव	वै०फार्मे०	मोहनचट्टी
10	श्री बृजमोहन गैरोला	वै०फार्मे०	कोट
11	श्री हरिबसन्तसिंह नेगी	वै०फार्मे०	थलनदी
12	श्री सुशील कुमार	वै०फार्मे०	पोखडा
13	श्री विमल कुमार नैथानी	वै०फार्मे०	सरोडा-मरोडा
14	श्री रघुवीर सिंह राणा	वै०फार्मे०	श्रीनगर
15	श्री सुदर्शन कुमार	वै०फार्मे०	कलालघाटी
16	श्री सतीशचन्द्र	वै०फार्मे०	डाडामण्डी
17	श्री असफाक अहमद	वै०फार्मे०	काण्डाखाल
18	श्री नरेश शर्मा	वै०फार्मे०	कालागढ़
19	श्री अमितसिंह	वै०फार्मे०	देवलगढ़
20	श्री राजकुमार	वै०फार्मे०	वीरोंखाल
21	श्री गोपाल सिंह रावत	मु०वै०फार्मे०	कोटद्वार
22	श्री हरीश चन्द्र ईष्वाल	वै०फार्मे०	डडुवादेवी

**चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो की निर्देशिका**

1	श्री हरिलाल	पशुधन सहायक	पौड़ी (पिसोली)
2	श्री भगवान सिंह विष्ट	पशुधन सहायक	पौड़ी (सत्यखाल)
3	श्री ज्ञान सिंह	पशुधन सहायक	चौखाल
4	श्री भगवान सिंह	पशुधन सहायक	खिरसू
5	श्री ओमप्रकाश	पशुधन सहायक	देवलगढ़
6	श्रीमती आशादेवी	पशुधन सहायक	डडुवादेवी
7	श्री चिरंजी लाल	पशुधन सहायक	श्रीनगर
8	श्री नन्दन सिंह	पशुधन सहायक	श्रीनगर
9	श्री ओमप्रकाश	पशुधन सहायक	पौड़ी (परसुण्डाखाल)
10	श्री जसोदा लाल	पशुधन सहायक	घुसगुली
11	श्री घुरीलाल	पशुधन सहायक	कोट
12	श्री सुरेन्द्र सिंह बुटोला	पशुधन सहायक	डडुवादेवी
13	श्री जगमोहन सिंह	पशुधन सहायक	पौड़ी
14	श्री मातवर सिंह	पशुधन सहायक	चाकीसैण
15	श्री गिरधारी सिंह भण्डारी	पशुधन सहायक	डडुवादेवी
16	श्री मोहनलाल	पशुधन सहायक	जयहरीखाल
17	श्री केदार सिंह नेगी	पशुधन सहायक	पाबौ
18	श्री जगमोहन सिंह	पशुधन सहायक	कोटद्वार
19	श्री वृजमोहन धूलिया	पशुधन सहायक	चैलूसैण
20	श्रीमती लक्सूदेवी	पशुधन सहायक	देवलगढ़
21	श्रीमती भगवती देवी	पशुधन सहायक	कलालघाटी
22	श्री प्रेमबल्लभ नैथानी	पशुधन सहायक	कालागढ़
23	श्री कैलाशचन्द्र पोखरियाल	पशुधन सहायक	कोटलीसैण
24	श्री सुरेन्द्र सिंह	पशुधन सहायक	नैनीडाडा
25	श्री जगमोहन सिंह	पशुधन सहायक	सतपुली
26	श्री सुमेरु	पशुधन सहायक	डाडामंडी
27	श्री शशीचन्द्र जुयाल	पशुधन सहायक	मोहनचट्टी
28	श्री कुलदीप सिंह रावत	पशुधन सहायक	दुगड्डा
29	श्री सुरेन्द्र सिंह विष्ट	पशुधन सहायक	कोटद्वार
30	श्री पूर्ण सिंह	पशुधन सहायक	बीरोखाल
31	श्री सुधाकर नैथानी	पशुधन सहायक	दुगड्डा
32	श्री ओमप्रकाश	पशुधन सहायक	काण्डाखाल
33	श्री बाबूराम	पशुधन सहायक	यमकेश्वर
34	श्री राजेशिंह	पशुधन सहायक	सरोडा-मरोडा
35	श्री हिम्मतसिंह	पशुधन सहायक	थलीसैण
36	श्री जयदेव नैथानी	पशुधन सहायक	कोटद्वार
37	श्री हरीशचन्द्र चौहान	पशुधन सहायक	सतपाली
38	श्री रामकृष्ण खन्तवाल	पशुधन सहायक	बुलेखाखाल
39	श्री भाष्करानन्द कण्डवाल	पशुधन सहायक	काण्डाखाल

40	श्रीमती सुषमा देवी	पशुधन सहायक	नैनीडाडा
41	श्री मंगलसिंह	पशुधन सहायक	थलीसैण
42	श्री बलवीरसिंह	पशुधन सहायक	पोखडा
43	श्री साधूराम नैथानी	पशुधन सहायक	रीठाखाल
44	श्री सुरेशचन्द्र	पशुधन सहायक	चेलूसैण
45	श्री भगतसिंह	पशुधन सहायक	सतपुली
46	श्री चन्द्रकिशोर काला	पशुधन सहायक	डाडामण्डी
47	श्रीमती भागेश्वरीदेवी	पशुधन सहायक	रीठाखाल
48	श्री शिवप्रकाश	पशुधन सहायक	एकेश्वर
49	श्री छोटेसिंह	पशुधन सहायक	धुमाकोट
50	श्रीमती हेमलता चौहान	पशुधन सहायक	दुगड्डा
51	श्री बालमसिंह	पशुधन सहायक	कोलादरिया
52	श्री जगदम्बाप्रसाद नैथानी	पशुधन सहायक	बुलेखाखाल
53	श्री महेशचन्द्र नैथानी	पशुधन सहायक	काण्डाखाल
54	श्री कल्याणसिंह	पशुधन सहायक	कमलपुर
55	श्री भरतसिंह विष्ट	पशुधन सहायक	पाबौ
56	श्री सुखदेव प्रसाद	पशुधन सहायक	सतपाली
57	श्री ताजवरसिंह	पशुधन सहायक	चाकीसैण
58	श्री मोहनसिंह	पशुधन सहायक	जहरीखाल
59	श्री नन्दनसिंह	पशुधन सहायक	श्रीनगर
60	श्रीमती शकुन्तलादेवी	पशुधन सहायक	कोट
61	श्रीमती पीताम्बरीदेवी	पशुधन सहायक	कमलपुर
62	श्री गिरीशचन्द्र	पशुधन सहायक	रीठाखाल
63	श्री विनोद कुमार विष्ट	पशुधन सहायक	थलनदी
64	श्री विनोद कुमार जदली	पशुधन सहायक	डाडामंडी
65	श्री सुरेन्द्रसिंह	पशुधन सहायक	कोटद्वार
66	श्रीमती रेखा	पशुधन सहायक	पाबौ
67	श्री ध्यानसिंह	पशुधन सहायक	पौडी
68	श्री क्रान्ति कुमार	पशुधन सहायक	बहेडाखाल
69	श्री दुर्गाप्रसाद	पशुधन सहायक	देहलचौरी (कमलपुर)
70	श्री कमलेश	पशुधन सहायक	कल्जीखाल
71	श्रीमती पार्वतीदेवी	पशुधन सहायक	घुसगुली
72	श्रीमती देवेश्वरी देवी	पशुधन सहायक	स्तपाली
73	श्री आशीष कुमार	पशुधन सहायक	कटुडवडा
74	श्री मुकेश कुमार	पशुधन सहायक	कटुडवडा
75	श्री सुरेशचन्द्र मंगगाई	पशुधन सहायक	वीरोंखाल
76	श्री राजकुमार	पशुधन सहायक	खिर्सू
77	श्रीमती अनिता नौडियाल	पशुधन सहायक	पौडी
78	श्री जगतसिंह	पशुधन सहायक	पोखडा
79	श्री प्रमोद कुमार	पशुधन सहायक	कोटद्वार

80	श्री मधुसूदन रावत	पशुधन सहायक	रिखणीखाल
81	श्री राजेन्द्र सिंह नेगी	पशुधन सहायक	प.चि.कटूडबडा
82	श्री सोबन सिंह भण्डारी	पशुधन सहायक	कुक्कुट लैब कोटद्वार
83	श्री अर्जुन सिंह	पशुधन सहायक	सघन कुक्कुट कौंटद्वार
84	श्री पूर्ण सिंह	पशुधन सहायक	कृत्रिम गर्भा0 कोटद्वार
85	श्री सुरेन्द्र सिंह	पशुधन सहायक	प0से0के0 चमधार
86	श्री हरीश चन्द्र जुयाल	पशुधन सहायक	पौडी
87	श्री मातवर सिंह	पशुधन सहायक	पौडी
88	श्री सीताराम	पशुधन सहायक	रीठाखाल
89	श्री ओमप्रकाश	पशुधन सहायक	डाडामंडी
90	श्री दिनेश कुमार सिंह रावत	पशुधन सहायक	डाडामंडी
91	श्री जयकिशन	पशुधन सहायक	एकेश्वर
92	श्री राहुल कुमार	पशुधन सहायक	कुक्कुट प्रक्षेत्र कोटद्वार
93	श्रीमती इन्दू जोशी	पशुधन सहायक	प0चि0 पौडी
94	श्रीमती गोदाम्बरी देवी	पशुधन सहायक	प0चि0 पौडी
95	श्री डब्ल सिंह	पशुधन सहायक	अमोठा
96	श्री धीरज सिंह	पशुधन सहायक	मोहनचटटी
97	श्री बलबीर सिंह	पशुधन सहायक	कमलपुर
98	श्रीमती शोभा देवी	पशुधन सहायक	पोखडा
99	श्री नरेश कुमार	पशुधन सहायक	खिर्सू
100	श्री विजय कुमार	पशुधन सहायक	चैलूसैण
101	श्री बलबीर सिंह	पशुधन सहायक	कमलपुर

**पशुधन प्रसार अधिकारी**

1	श्री आर०के० नौटिय्याल	क्षेत्र प्रसार अणिकारी	खाण्डूसैण
2	श्री बीरेन्द्र सिंह नेगी	पशुधन प्रसार अधिकारी	सत्यखाल
3	श्री माधव लाल ध्यानी	पशुधन प्रसार अधिकारी	पोखरी
4	श्री राजेन्द्र प्रसाद कपटियाल	पशुधन प्रसार अधिकारी	घडियाल
5	श्री हरीशचन्द्र बमोला	पशुधन प्रसार अधिकारी	देहलचौरी
6	श्री एस०के० मैठाणी	पशुधन प्रसार अधिकारी	सुमेरूसैण
7	श्री हर्षमोहन सिंह नेगी	पशुधन प्रसार अधिकारी	मोटाढाक
8	श्री आर०के० कन्डवाल	पशुधन प्रसार अधिकारी	पली
9	श्री सन्तोष कुमार देवलियाल	पशुधन प्रसार अधिकारी	पौखाल
10	श्री बृजमोहन सिंह गुसांई	पशुधन प्रसार अधिकारी	रामणी
11	श्री ओमप्रकाश राज	पशुधन प्रसार अधिकारी	सीकू
12	श्री गोपालसिंह नेगी	पशुधन प्रसार अधिकारी	धारकोट
13	श्री कलमसिंह नेगी	पशुधन प्रसार अधिकारी	चमधार
14	श्री भूपेन्द्र सिंह विष्ट	पशुधन प्रसार अधिकारी	धौलखेतखाल
15	श्री संजय नैथानी	पशुधन प्रसार अधिकारी	फरसूला
16	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	पशुधन प्रसार अधिकारी	घटगोला
17	श्री हेमन्त भारद्वाज	पशुधन प्रसार अधिकारी	सिगडडी
18	श्री विनय कुमार	पशुधन प्रसार अधिकारी	श्रीकोटखाल
19	श्री अमित बहुखण्डी	पशुधन प्रसार अधिकारी	अमोटा
20	श्री मनोज जायसवाल	पशुधन प्रसार अधिकारी	दिखोलीखाल
21	श्री शेखर शर्मा	पशुधन प्रसार अधिकारी	बैंजरो
22	श्री सुमन्तसिंह	पशुधन प्रसार अधिकारी	आमसैण
23	श्री बिजय पाल शाह	पशुधन प्रसार अधिकारी	चिपलघाट
24	श्री शैलेश विष्ट	पशुधन प्रसार अधिकारी	कोटद्वार
25	श्री गजेसिंह	पशुधन प्रसार अधिकारी	ढौटियाल
26	श्री हरिबल्लभ जखमोला	पशुधन प्रसार अधिकारी	नौदानू
27	श्री प्रेमसिंह नेगी	पशुधन प्रसार अधिकारी	किल्बौखाल
28	श्री रमेश कुमार रावत	पशुधन प्रसार अधिकारी	ढामकेश्वर
29	श्री डी०के० ध्यानी	पशुधन प्रसार अधिकारी	ग्वील
30	श्री सुभाष चन्द्र गौड	कुक्कुट निरीक्षक	सघन कुक्कुट कोटद्वार
31	श्री रमेश चन्द्र बक्स	क्षेत्र प्रसार अधिकारी	देवीखेत
32	श्री गणेश चन्द्र जोशी	क्षेत्र प्रसार अधिकारी	रनेह
33	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	पशुधन प्रसार अधिकारी	अधरियाखाल
34	श्री दलीप सिंह विष्ट	क्षेत्र प्रसार अधिकारी	दुधारखाल
35	श्री अब्बल सिंह चौहान	क्षेत्र प्रसार अधिकारी	गंगाभोगपुर
36	श्री राकेश सिंह	पशुधन प्रसार अधिकारी	गोलीखाल
37	श्री मुकेश सिंह	पशुधन प्रसार अधिकारी	भेटी
38	श्री अजय कुमार	पशुधन प्रसार अधिकारी	सूला
39	श्री राजगुरु	पशुधन प्रसार अधिकारी	परसुण्डाखाल
40	श्रीमति सपना रावत	पशुधन प्रसार अधिकारी	सैधीखाल
41	श्रीमति ममता	पशुधन प्रसार अधिकारी	थ्समलना

42	श्री हरीश गोनियाल	पशुधन प्रसार अधिकारी	सर
43	श्री ललित कुमार	पशुधन प्रसार अधिकारी	बहेडाखाल
44	श्री सनन्द कुमार	पशुधन प्रसार अधिकारी	दांथा
45	श्री वीरेन्द्र सिंह	पशुधन प्रसार अधिकार	बसन्तपुर
46	श्री प्रेम सिंह रावत	पशुधन प्रसार अधिकारी	मांगथा

## मैनुअल – 10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें विनियकों के यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी पौडी

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद नाम	वेतनमान	पारिश्रमिक
1	डा० राजेन्द्र कुमार	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	2033256 / -
2	डा० दिव्या नेगी	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	983023 / -
3	डा० अजित प्रताप सिंह	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	1076680
4	डा० मनजीत सिंह	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	983023 / -
5	डा० विक्रान्त गिल	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	1076680 / -
6	डा० बिपुलजैन	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	1076680
7	डा० विशन कुमार तोमर	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	1076680 / -
8	डा० मंजूपाल	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	977406 / -
9	डा० बी०एम०गुप्ता	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	1161983 / -
10	डा० भूपेन्द्र सिंह	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	946089 / -
11	डा० नीरजकुमार पचौरी	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	1070098 / -
12	डा० अजयपाल असवाल	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	1035293 / -
13	डा० भरतदत्त ढौडियाल	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	1171983 / -
14	डा० विजयपाल सिंह	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	1076680 / -
15	डा० अमित ध्यानी	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	1030633 / -
16	डा० हिमांशु पांगती	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	1070098 / -
17	डा० मनाली पन्त	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	895380 / -
18	डा० दीक्षा रावत	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	839406 / -
19	डा० शालिनी पाण्डेय	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	968995 / -
20	डा० राजेश कुमार	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	870324 / -
21	डा० शिवानी चौहान	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	870324 / -
22	डा० अमित कुमार	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	870324 / -
23	डा० निधि विष्ट	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	870324 / -
24	डा० डी०सी०एस०रावत	रो०अनु०अधि० कोटद्वार	15600-39100	1503354 / -
25	डा० अभय कुमार	उ०मु०प०चि०अ०	15600-39100	1129504 / -
26	डा० सुमित कौर	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	946089 / -
27	डा० प्रेमा ध्यानी	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	870324 / -
28	डा० आशा सामंत	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	891429 / -
29	डा० किरन रावत	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	946089 / -
30	डा० शैल निधि	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	945129 / -
31	डा० धीरज अधिकारी	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	956089 / -
32	डा०डी०के०शर्मा	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	1030633 / -
33	डा०सुनिल कुमार अवस्थी	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	1030633 / -
34	डा०रजनीश पाण्डेय	पशु चिकित्साधिकारी	15600-39100	956089 / -
35	श्री पूर्ण सिंह रावत	वरिष्ठ प्रशासनिक अधि०	9300-34800	655500 / -
36	श्री गुणा नन्द	प्रशासनिक अधि०	9300-34800	578040 / -
37	श्री मनमोहन सिंह रावत	प्रधान सहायक	9300-34800	584556 / -
38	श्री हरीश चन्द्र	लेखाकार	9300-34800	480972 / -
39	श्री जगदीश सिंह	वरिष्ठ सहायक	9300-34800	536640 / -
40	श्रीमती विनय लक्ष्मी रावत	प्रधान सहायक	9300-34800	568320 / -

41	श्री गणेश चन्द्र बमोला	वरिष्ठ सहायक	5200-20200	372300 / -
42	श्री प्रेम सिंह राणा	वरिष्ठ सहायक	5200-20200	403078 / -
43	श्री अनूप कुमार	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	268282 / -
44	श्री दिनेश चन्द्र आर्य	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	268282 / -
45	श्री दीपक सिंह रावत	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	258004 / -
46	श्री पुनीत विष्ट	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	97178 / -
47	श्री भगवान सिंह रावत	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	316450 / -
48	श्री विवेक कुमार	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	97178 / -
49	श्री गुलशन कुमार	अन्वे० कम संगणक	9300-34800	448299 / -
50	श्री बलवन्त सिंह रावत	वाहन चालक	5200-20200	473768 / -
51	श्री नागेन्द्र प्रसाद	वाहन चालक	5200-20200	468296 / -
52	श्री अनुसूया प्रसाद	पत्र वाहक	4440-7440	348942 / -
53	श्री प्रकाशसिंह	पत्र वाहक	5200-20200	325838 / -
54	श्री अरविन्द कुमार	पत्र वाहक	5200-20200	333960 / -
55	श्री धीरेन्द्र सिंह	पत्र वाहक	5200-20200	312970 / -
56	श्री विजय कुमार	सफाई नायक	5200-20200	199572 / -
57	श्री दलजीतसिंह	वै०फार्मे०	9300-34800	707844 / -
58	श्री हेमन्तसिंह	वै०फार्मे०	9300-34800	707844 / -
59	श्री डी०सी० धस्माना	वै०फार्मे०	9300-34800	707844 / -
60	श्री राजेन्द्र प्रसाद थलेडी	वै०फार्मे०	9300-34800	880651 / -
61	श्री रामस्वरूप कोटनाला	वै०फार्मे०	9300-34800	666562 / -
62	श्री विक्रमसिंह विष्ट	वै०फार्मे०	9300-34800	707844 / -
63	श्री हरेन्द्रसिंह चौहान	वै०फार्मे०	9300-34800	707844 / -
64	श्री मनोज कुमार जोशी	वै०फार्मे०	9300-34800	616562 / -
65	श्री रमेश यादव	वै०फार्मे०	9300-34800	616562 / -
66	श्री बृजमोहन गैरोला	वै०फार्मे०	9300-34800	616562 / -
67	श्री हरिबसन्तसिंह नेगी	वै०फार्मे०	9300-34800	707844 / -
68	श्री सुशील कुमार	वै०फार्मे०	9300-34800	516562 / -
69	श्री विमल कुमार नैथानी	वै०फार्मे०	9300-34800	707844 / -
70	श्री सुदर्शन कुमार	वै०फार्मे०	9300-34800	616562 / -
71	श्री सतीशचन्द्र	वै०फार्मे०	9300-34800	616562 / -
72	श्री असफाक अहमद	वै०फार्मे०	9300-34800	605729 / -
73	श्री नरेश कुमार शर्मा	वै०फार्मे०	9300-34800	688857 / -
74	श्री आर०एस०राणा	वै०फार्मे०	9300-34800	707844 / -
75	श्री अमितसिंह	वै०फार्मे०	9300-34800	656102 / -
76	श्री राजकुमार	वै०फार्मे०	9300-34800	707844 / -
77	श्री हरिलाल	पशुधन सहायक	5200-20200	374585 / -
78	श्री भगवानसिंह विष्ट	पशुधन सहायक	5200-20200	368376 / -
79	श्री ज्ञानसिंह	पशुधन सहायक	5200-20200	374638 / -
80	श्री भगवानसिंह	पशुधन सहायक	5200-20200	332620 / -
81	श्री ओमप्रकाश	पशुधन सहायक	5200-20200	374638 / -
82	श्रीमती आशादेवी	पशुधन सहायक	5200-20200	325838 / -
83	श्री चिरंजीलाल	पशुधन सहायक	5200-20200	311024 / -

84	श्री नन्दनसिंह	पशुधन सहायक	5200-20200	318232 / -
85	श्री ओमप्रकाश	पशुधन सहायक	5200-20200	333608 / -
86	श्री जसोदा लाल	पशुधन सहायक	5200-20200	312320 / -
87	श्री घुरीलाल	पशुधन सहायक	5200-20200	312320 / -
88	श्री सुरेन्द्रसिंह बुटोला	पशुधन सहायक	5200-20200	312320 / -
89	श्री जगमोहनसिंह	पशुधन सहायक	5200-20200	368376 / -
90	श्री मातवरसिंह	पशुधन सहायक	5200-20200	2911961 / -
91	श्री गिरधारी सिंह भण्डारी	पशुधन सहायक	5200-20200	372052 / -
92	श्री दिनेश चन्द्र रावत	पशुधन सहायक	5200-20200	372052 / -
93	श्री केदारसिंह नेगी	पशुधन सहायक	5200-20200	357648 / -
94	श्री जगमोहनसिंह	पशुधन सहायक	5200-20200	368376 / -
95	श्री वृजमोहन धूलिया	पशुधन सहायक	5200-20200	357987 / -
96	श्री सीता राम	पशुधन सहायक	5200-20200	368376 / -
97	श्रीमती लक्सूदेवी	पशुधन सहायक	5200-20200	284144 / -
98	श्रीमती भगवतीदेवी	पशुधन सहायक	5200-20200	372052 / -
99	श्री प्रेमबल्लभ नैथानी	पशुधन सहायक	5200-20200	372052 / -
100	श्री कैलाशचन्द्र पोखरियाल	पशुधन सहायक	5200-20200	300712 / -
101	श्री सुरेन्द्रसिंह	पशुधन सहायक	5200-20200	320768 / -
102	श्री जगमोहनसिंह	पशुधन सहायक	5200-20200	366655 / -
103	श्री मातवर सिंह	पशुधन सहायक	5200-20200	373052 / -
104	श्री सुमेरु	पशुधन सहायक	5200-20200	349234 / -
105	श्री शशीचन्द्र जुयाल	पशुधन सहायक	5200-20200	369376 / -
106	श्री कुलदीपसिंह रावत	पशुधन सहायक	5200-20200	364001 / -
107	श्री सुरेन्द्रसिंह विष्ट	पशुधन सहायक	5200-20200	369944 / -
108	श्री पूर्णसिंह	पशुधन सहायक	5200-20200	314025 / -
109	श्री सुधाकर नैथानी	पशुधन सहायक	5200-20200	379943 / -
110	श्री ओमप्रकाश जदली	पशुधन सहायक	5200-20200	313591 / -
111	श्री मोहनलाल	पशुधन सहायक	5200-20200	373052 / -
112	श्री बाबूराम	पशुधन सहायक	5200-20200	359234 / -
113	श्री राजसिंह	पशुधन सहायक	5200-20200	360540 / -
114	श्री हिम्मतसिंह	पशुधन सहायक	5200-20200	371943 / -
115	श्री जयदेव नैथानी	पशुधन सहायक	5200-20200	378184 / -
116	श्री हरीशचन्द्र चौहान	पशुधन सहायक	5200-20200	372943 / -
117	श्री रामकृष्ण खन्तवाल	पशुधन सहायक	5200-20200	312320 / -
118	श्री भाष्करानन्द कण्डवाल	पशुधन सहायक	5200-20200	317683 / -
119	श्री बिजय कुमार	पशुधन सहायक	5200-20200	266324 / -
120	श्री दिनेश कुमार रावत	पशुधन सहायक	5200-20200	363310 / -
121	श्रीमती सुषमा देवी	पशुधन सहायक	5200-20200	379940 / -
122	श्री मंगलसिंह	पशुधन सहायक	5200-20200	377940 / -
123	श्री बलवीरसिंह	पशुधन सहायक	5200-20200	377940 / -
124	श्री साधूराम नैथानी	पशुधन सहायक	5200-20200	313320 / -
125	श्री सुरेशचन्द्र	पशुधन सहायक	5200-20200	364246 / -
126	श्री भगतसिंह	पशुधन सहायक	5200-20200	364246 / -

127	श्री ननका	पशुधन सहायक	5200-20200	364246 / -
128	श्री हरिशचन्द्र जुयाल	पशुधन सहायक	5200-20200	353804 / -
129	श्री चन्द्रकिशोर काला	पशुधन सहायक	5200-20200	333653 / -
130	श्रीमती भागेश्वरीदेवी	पशुधन सहायक	5200-20200	364246 / -
131	श्री शिवप्रकाश	पशुधन सहायक	5200-20200	353804 / -
132	श्री छोटेसिंह	पशुधन सहायक	5200-20200	353804 / -
133	श्रीमती हेमलता चौहान	पशुधन सहायक	5200-20200	318745 / -
134	श्री बालमसिंह	पशुधन सहायक	5200-20200	377940 / -
135	श्री जगदम्बाप्रसाद नैथानी	पशुधन सहायक	5200-20200	355804 / -
136	श्री महेशचन्द्र नैथानी	पशुधन सहायक	5200-20200	369976 / -
137	श्री कल्याणसिंह	पशुधन सहायक	5200-20200	353804 / -
138	श्री भरतसिंह विष्ट	पशुधन सहायक	5200-20200	360540 / -
139	श्री सुखदेव प्रसाद	पशुधन सहायक	5200-20200	313320 / -
140	श्री ताजवरसिंह	पशुधन सहायक	5200-20200	313320 / -
141	श्री मोहनसिंह	पशुधन सहायक	5200-20200	313320 / -
142	श्री आनन्द सिंह	पशुधन सहायक	5200-20200	319916 / -
143	श्रीमती भगवती देवी	पशुधन सहायक	5200-20200	392233 / -
144	श्री प्रमोद कुमार	पशुधन सहायक	5200-20200	275074 / -
145	श्रीमती पीताम्बरीदेवी	पशुधन सहायक	5200-20200	275074 / -
146	श्री गिरीशचन्द्र	पशुधन सहायक	5200-20200	313320 / -
147	श्री विनोद कुमार विष्ट	पशुधन सहायक	5200-20200	275074 / -
148	श्री विनोद कुमार जदली	पशुधन सहायक	5200-20200	313320 / -
149	श्री सुरेन्द्रसिंह	पशुधन सहायक	5200-20200	275074 / -
150	श्री कुमारी रेखा	पशुधन सहायक	5200-20200	248865 / -
151	श्री ध्यानसिंह	पशुधन सहायक	5200-20200	275074 / -
152	श्री क्रान्ति कुमार	पशुधन सहायक	5200-20200	319916 / -
153	श्री दुर्गाप्रसाद	पशुधन सहायक	5200-20200	276074 / -
154	श्री कमलेश	पशुधन सहायक	5200-20200	335016 / -
155	श्रीमती पार्वतीदेवी	पशुधन सहायक	5200-20200	319074 / -
156	श्रीमती देवेश्वरी देवी	पशुधन सहायक	5200-20200	319074 / -
157	श्री आशीष कुमार	पशुधन सहायक	5200-20200	256492 / -
158	श्री मुकेश कुमार	पशुधन सहायक	5200-20200	259182 / -
159	श्री सुरेशचन्द्र मंगगाई	पशुधन सहायक	5200-20200	319002 / -
160	श्री राजकुमार	पशुधन सहायक	5200-20200	315706 / -
161	श्री जगमोहन सिंह गुसाईं	पशुधन सहायक	5200-20200	399587 / -
162	श्री अर्जुन सिंह रावत	पशुधन सहायक	5200-20200	372943 / -
163	श्री राजेन्द्र सिंह नेगी	पशुधन सहायक	5200-20200	285002 / -
164	श्री नरेश कुमार	पशुधन सहायक	5200-20200	335608 / -
165	श्री राहुल कुमार	पशुधन सहायक	5200-20200	219939 / -
166	श्री सोबन सिंह भण्डारी	पशुधन सहायक	5200-20200	349530 / -
167	श्रीमती इन्दू जोशी	पशुधन सहायक	5200-20200	209155 / -
168	श्रीमती गोदाम्बरी देवी	पशुधन सहायक	5200-20200	210015 / -
169	श्रीमती अनिता नौडियाल	पशुधन सहायक	5200-20200	269354 / -

170	श्री जगतसिंह	पशुधन सहायक	5200-20200	329616 / -
171	श्री धीरज सिंह	पशुधन सहायक	5200-20200	329616 / -
172	श्री श्री बलबीर सिंह	पशुधन सहायक	5200-20200	329616 / -
173	श्री जयकिशन	पशुधन सहायक	5200-20200	219939 / -
174	श्रीमती शोभा देवी	पशुधन सहायक	5200-20200	219939 / -
175	<b>श्री योगेश मोहन बडोनी</b>	<b>प्लांट मैकेनिक</b>	<b>9300-34800</b>	556980 / -
176	श्री लक्ष्मीदत्त बेलवाल	प्लांट मैकेनिक	9300-34800	648810 / -
177	श्री आनन्द सिंह	प्लांट मैकेनिक	9300-34800	613732 / -
178	श्री जीतेन्द्र दत्त जोशी	प्लांट मैकेनिक	9300-34800	569540 / -
179	<b>श्री रामकृष्ण नौटियाल</b>	<b>क्षेत्र प्रसार अधिकारी</b>	<b>9300-34800</b>	<b>733585 / -</b>
180	श्री बीरेन्द्र सिंह	पशुधन प्रसार अधिकारी	5200-20200	409158 / -
181	श्री माधवलाल ध्यानी	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	573792 / -
182	श्री राजेन्द्र प्रसाद कपटियाल	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	573792 / -
183	श्री हरीशचन्द्र बमोला	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	513498 / -
184	श्री दलीप सिंह	<b>क्षेत्र प्रसार अधिकारी</b>	9300-34800	696942 / -
185	श्री गणेश चन्द्र जोशी	<b>क्षेत्र प्रसार अधिकारी</b>	9300-34800	707762 / -
186	श्री हर्षमोहन सिंह नेगी	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	598498 / -
187	श्री अब्बल सिंह चौहान	<b>क्षेत्र प्रसार अधिकारी</b>	9300-34800	649942 / -
188	श्री एस0के0 मैठाणी	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	624991 / -
189	श्री आर0के0 कन्डवाल	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	647942 / -
190	श्री सन्तोष कुमार देवलियाल	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	573792 / -
191	श्री बृजमोहन सिंह गुसाईं	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	573792 / -
192	श्री डबबलसिंह	डेसर	4440-7440	329916 / -
193	श्री ओमप्रकाश राज	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	513498 / -
194	श्री गोपालसिंह नेगी	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	513498 / -
195	श्री कलमसिंह नेगी	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	573792 / -
196	श्री अमित बहुखण्डी	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	573792 / -
197	श्री भूपेन्द्रसिंह विष्ट	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	573792 / -
198	श्री संजय नैथानी	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	573792 / -
199	श्री राजेन्द्रसिंह रावत	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	487491 / -
200	श्री राज गुरु दत्त	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	384820 / -
201	श्री आशा राम उनियाल	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	489491 / -
202	श्री हेमन्त भारद्वाज	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	573792 / -
203	श्री डी0के0ध्यानी	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	669983 / -
204	श्री विनय कुमार	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	384820 / -
205	श्री रजनीश कुमार	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	384820 / -
206	श्री सुमन्तसिंह	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	393820 / -
207	श्री मनोज कुमार जयसवाल	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	393820 / -
208	श्री शैलेश विष्ट	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	573792 / -
209	श्री गजेसिंह कण्डारी	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	389820 / -
210	श्री हरिबल्लभ जखमोला	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	359794 / -

211	श्री प्रेमसिंह नेगी	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	373690 / -
212	श्री रमेश कुमार रावत	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	592044 / -
213	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	5737928 / -
214	श्री रमेश चन्द्र बक्स	क्षेत्र प्रसार अधिकारी	9300-34800	698861 / -
215	श्री सुभाष चन्द्र गौड	प0प्र0अ0 कुक्कुट	9300-34800	736169 / -
216	श्री बीरेन्द्र सिंह मनियारी	प्रयोगशाला सहायक	9300-34800	684553 / -
217	श्री सज्जन सिंह नेगी	प्रयोगशाला सहायक	9300-34800	684553 / -
218	श्री अजय कुमार सुन्द्रियाल	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	399394 / -
219	श्रीमती ममता रावत	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	399540 / -
220	श्री प्रेम सिंह रावत	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	398820 / -
221	श्री यथवन्त सिंह रावत	क्षेत्र प्रसार अधिकारी	9300-34800	689942 / -
222	श्री हरीश गौनियाल	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	495475 / -
223	श्री विजय पाल शाह	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	498948 / -
224	श्रीमती सपना रावत	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	385820 / -
225	श्री ललित कुमार	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	385820 / -
226	श्री मुकेश सिंह	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	441708 / -
227	श्री सनन्द कुमार	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	385820 / -
228	श्री शेखर शर्मा	पशुधन प्रसार अधिकारी	9300-34800	385820 / -

## मैनुअल – 11

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये  
गये संविताणों पर रिपोर्टों की  
विशिष्टियों उपदर्शित करते हुये  
अपने प्रत्येक अभिकरण को  
आवंटित बजट

क्र०सं०	योजना/मद का नाम	वर्ष 2015-16 में आवंटन	वर्ष 2015-16 में व्यय	समर्पित	अभ्युक्ति
1	2515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 00- 102-सामुदायिक विकास 91-जिला योजना 08- जिला योजना पौडी का क्रियान्वयन (भवन निर्माण)				
	42- अन्य व्यय (24-वृहत निर्माण)	13476	13476	-	-
2	2515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 00- 102-सामुदायिक विकास 91-जिला योजना 08- जिला योजना पौडी का क्रियान्वयन (पशु चिकित्सा हेतु दवा वैक्सीन/ शिविरो का आयोजन)				
	26-मशीन <a href="#">साज-सज्जा / उपकरण</a>	800	800	-	-
	31-सामग्री सम्पूर्ति	900	900	-	-
	39-औषधि रसायन	2000	2000	-	-
	42-अन्य व्यय	724	724	-	-
	योग:-	4424	4424	-	-
3	2515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 00- 102-सामुदायिक विकास 91-जिला योजना 08- जिला योजना पौडी का क्रियान्वयन (भेडो को पारजीवी कीटाणुवों से बचाने की योजना)				
7	42- अन्य व्यय	80	80	-	-
8	2515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 00- 102-सामुदायिक विकास 91-जिला योजना 08- जिला योजना पौडी का क्रियान्वयन (प्रदेश मे चारा विकास कार्यक्रम का संघनीकरण)				
	42-अन्य व्यय	370	370	-	-
	जिला योजना के अनुदान संख्या-07 का योग:-	18350	18350	-	-

जिला योजना आयोजनागत योजनाओं अनुदान संख्या-30 का वर्ष 2015-16 का व्यय विवरण (रुपये हजार में)

क्र०सं०	योजना/मद का नाम	वर्ष 2015-16 में आवंटन	वर्ष 2015-16 में व्यय	समर्पित	अभ्युक्ति
1	2515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 00-				
	102-सामुदायिक विकास				
	91-जिला योजना				
	08- जिला योजना पौडी का क्रियान्ययन (पशु चिकित्सा हेतु दवा वैक्सीन/ शिविरो का आयोजन)				
	15-मोटर गाडी अनुरक्षण	100	100	--	--
	26-मशीन साज-सज्जा	300	300	--	--
	31-सामग्री सम्पूर्ति	300	300	--	--
2	39-औषधि तथा रसायन	800	800	--	--
	42-अन्य व्यय	200	200	--	--
	योग:-	1700	1700	--	--
	2515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 00-				
	102-सामुदायिक विकास				
	91-जिला योजना				
	08- जिला योजना पौडी का क्रियान्ययन (दारिन्दा पंढित पर बकरा साण्ड वितरण योजना)				
42-अन्य व्यय	80	80			
3	2515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 00-				
	102-सामुदायिक विकास				
	91-जिला योजना				
5	08- जिला योजना पौडी का क्रियान्ययन (ग्राम्य और प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदर्शनियों का आयोजन				
	42- अन्य व्यय	140	140	--	--
5	2515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 00-				
	102-सामुदायिक विकास				
	91-जिला योजना				
	08- जिला योजना पौडी का क्रियान्ययन (अनुसचित जातियों के लाभार्थ रोजगार परक कुक्कुट योजना)				

	42-अन्य व्यय	1050	1050	—	—
6	2515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 00- 102-सामुदायिक विकास 91-जिला योजना 08- जिला योजना पौडी का क्रियान्ययन ( पर्वतीय क्षेत्रो मे चारा विकास का संघनीकरण)				
	42- अन्य व्यय	80	80	—	—
	योग अनुदान संख्या-30 का योग:-	3050	3050		---
	जिला योजना का योग	21400	21400	—	—

राज्य सैक्टर आयोजनागत योजनाओं अनुदान संख्या-28 का वर्ष 2015-16 का व्यय विवरण (रुपये हजार में)

क्र०सं०	योजना/मद का नाम	वर्ष 2015-16 में आवंटन	वर्ष 2015-16 में व्यय	समर्पित	अभ्युक्ति
1	2403-पशुपालन आयोजनागत 00- 101-पशुचिकित्सा सेवाये एवं पशु स्वास्थ्य 09-पशुचिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना 00-				
	08-कार्यालय व्यय	30	30		
	09-विद्युत	20	20		
	10- जलकर	10	10		
	11-लेखन सामग्री	26	26		
	12-कार्यालय फर्नीचर	40	40		
	17-किराया	30	30		
	26-मशीन साज-सज्जा	32	32		
	27-चिकित्सा व्यय	50	49	01	
	39-औषधि तथा रसायन	250	250		
	42-अन्य व्यय	20	20		
	योग अनुदान संख्या-28 का योग:-	508	507	01	

राज्य सैक्टर आयोजनागत योजनाओं अनुदान संख्या-30 का वर्ष 2015-16 का व्यय विवरण (रुपये हजार में)

क्र०सं०	योजना/मद का नाम	वर्ष 2015-16 में आवंटन	वर्ष 2015-16	समर्पित	अभ्युक्ति
1	2403-पशुपालन आयोजनागत 00- 101-पशुचिकित्सा सेवाये एवं पशु स्वास्थ्य 02- अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 07-पशुचिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना 05-स्थानायात्रा भत्ता	01	—	01	
	08-कार्यालय व्यय	05	05	—	—
	09- विद्युत देयक	05	05	—	—
	10-जलकर	—	—	—	—
	11- लेखन	03	03	—	—
	12- फर्नीचर	15	15	—	—
	16-व्यावसायिक शुल्क	—	—	—	—
	17-किराया	05	05	—	—
	26-मशीन साज-सज्जा	01	01	—	—
	31-सामग्री सम्पूर्ति	03	03	—	—
	39-औषधि तथा रसायन	20	20	—	—
	योग:-	58	58	—	—

राज्य सैक्टर आयोजनागत योजनाओं अनुदान संख्या-28 का वर्ष 2015-16 का व्यय विवरण (रूपये हजार में)

क्र०सं०	योजना/मद का नाम	वर्ष 2015-16 आवंटन	वर्ष 2015-16 में व्यय	समर्पित	अभ्युक्ति
1	2403-पशुपालन आयोजनागत 00- 104- भेड तथा उन विकास 04- अहिल्यावाई होल्कर भेड बकरी योजना 00-				
	50- सब्सिडी	734160	734160	-	-
2	2403-पशुपालन आयोजनागत 00- 106-अन्य पशुधन विकास 07-निराश्रित गौसदनों की स्थापना 00-				
	42-अन्य व्यय	176626	176626	-	-
3	अनुदान सं०-30 2403-पशुपालन आयोजनागत 00- 106- अन्य पशुधन विकास 02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 06-अनुसूचित जातियों के लिए बकरी पालन योजना				
	42-अन्य व्यय	882	882	-	-
4	अनुदान सं०-30 2403-पशुपालन आयोजनागत 00- 106- अन्य पशुधन विकास 02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 11-अनुसूचित जातियों के लिए गौ पालन योजना				
	42-अन्य व्यय	1800	1800	-	-
5	अनुदानसंख्या-28 2403-पशुपालन आयोजनागत 00- 107-चारा एवं चारागाह 03-चारा बैकों भण्डारण 00-	300	300		
	योग-	4458786	4458786	-	-

केन्द्र पोषित योजनाएं आयोजनागत योजनाओं अनुदान संख्या-28 का वर्ष 2015-16 का व्यय विवरण (रुपये हजार में)

क्र०सं०	योजना / मद का नाम	वर्ष 2015-16 में आवंटन	वर्ष 2015-16में व्यय	समर्पित	अभ्युक्ति
1	2403-पशुपालन आयोजनागत 00- 101-पशु चिकित्सा सेवाये तथा पशु स्वास्थ्य, 01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 06-पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता(75प्रतिशत केन्द्र पोषित)				
	42-अन्य व्यय	1186	1186		—
2	अनुदान संख्या-30 2403-पशुपालन आयोजनागत 00- 101-पशु चिकित्सा सेवाये तथा पशु स्वास्थ्य, 01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 06-पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता(75प्रतिशत केन्द्र पोषित)				
	42-अन्य व्यय	376	376		—
3	अनुदान संख्या-28 2403-पशुपालन आयोजनागत 00- 113-प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी 01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 02-पशु पालन सांख्यिकीय प्रकोष्ठ की स्थापना				
	01-वेतन	231	231	—	
	03-महंगाई भत्ता	222	221	01	
	04-यात्रा भत्ता	20	20		
	06-अन्य भत्ते	43	43		11 हजार कोषागार द्वारा ऋणात्मक आहरण
	योग:-	516	515	01	
4	अनुदान संख्या-28 2403-पशुपालन आयोजनागत 00- 113-प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी 01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 01-प्रदेश में पशुगणना सम्बन्धी कार्य (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित)				
	42-अन्य व्यय	168	168	—	—

5	अनुदान संख्या-28 2403-पशुपालन आयोजनागत 00- 101-पशु चिकित्सा सेवायें एवं पशु स्वास्थ्य 01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 15- पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना				
	42-अन्य व्यय	336	336	—	—
	केन्द्र पोषित	2582	2581	01	

## मैनुअल – 12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की  
रीति जिसमें आवंटित राशि और  
ऐसे कार्यक्रमों के फायदा—  
ग्राहकों के ब्यौरे सम्मिलित है।

## मैनुअल 13

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों  
या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ता  
की विशिष्टियां

यह रोग जो बैक्टीरिया, वायरस तथा प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, संक्रामक रोग कहलाते हैं छूत से फैलने वाले रोग संक्रामक रोग होते हैं। पशुपालक जानते हैं कि संक्रामक रोगों द्वारा दुधारू पशुओं में शारीरिक एवं आर्थिक हानि हुआ करती है।

#### 1. खुरपका मेंहपका रोग:

यह एक भयानक संक्रामक वाइरस जनित रोग है। रोग में तेज बुखार आता है जो 104 डिग्री फ़ैरेनाइट तक पहुँचता है। मुँह से लार टपकती है, खुर में घाव हो जाने पर पशु एक स्थान पर खड़ा नहीं रह पाता है लंगड़ाकर चलता है घाव में कीड़े पड़ जाते हैं पशु खाना पीना छोड़ देता है, दूध के उत्पन्नपादन में कमी आ जाती है।

**बचाव :-** इसका टीका पशुपालन विभाग, उत्तरांचल द्वारा रियायती दर पर लगाया जाता है, यह टीका वर्षा आरम्भ में हाने से पहले मई-जून में लगवा लेना चाहिए यह टीका लगवा कर महामारी से बचा जा सकता है। यदि बीमारी हो जाए तो बीमार पशु स्वस्थ पशु से अलग रखना चाहिए।

#### 2. पोंकनी रोग:

यह भी वाइरस जनित भयानक रोग है इससे काफी पशुओं की मृत्यु हो जाती है बीमार में बुखार 105 से 107 डिग्री तक आता है, दस्त आते हैं, मुँह, जीभ तक आंतों में छाले पड़ जाते हैं। पशु कमजोर हो जाता है आँखें बँट जाती हैं, नाक, आँख तथा मुँह से पानी गिरने लगता है, पशु कमजोर होकर लड़खड़ाकर गिर जाता है और मर जाता है।

**बचाव :-** स्वस्थ पशुओं में बचाव के लिए टीका लगवा लेना आवश्यक है। यह टीका अक्टूबर/नवम्बर में लगाया जाता है। इससे जी.टी.बी. तथा लेपिनाइज्ड वैक्सीन मुख्य है। आजकल रिन्डरपेस्ट उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है इस हेतु आर.पी. खोज कार्य जारी है इसलिए टीकाकरण का कार्य नहीं कराया जा रहा है।

#### 3. माता रोग:

यह विशाणु जनित रोग है इसमें अयन एवं थनों में छाले पड़ जाते हैं। बाद में घाव बन जाते हैं। जिससे थनैला रोग होने का भय उत्पन्न हो जाता है।

**बचाव :-** बीमार पशु का अलग रखना चाहिए तथा घाव में एंटीसेप्टिक मलहम लगाना चाहिए।

#### 4. रैबीज:

यह रोग पागल कुत्ते, सियार के काटने से होता है यह रोग वाइरस जनित है। प्रमुख लक्षणों में पशु का उग्र होना, मुँह से लार टपकना, रोगी पशु कंकड़ तथा मिट्टी को चबाने का प्रयास करता है अंत में लकवा मार जाता है और पशु की मृत्यु हो जाती है। बीमार पशु की लार लगने से मनुष्य में यह रोग फैल जाता है।

**बचाव :-** पशु के घाव को कार्बोलिक एसिड साबुन द्वारा साफ करना चाहिए। उसके बाद एन्टीरेबीज का टीका लगवाना चाहिए क्योंकि लक्षण पैदा होने पर उपचार संभव हो जाता है। यह टीका राजकीय पशु चिकित्सालय द्वारा निःशुल्क लगाया जाता है।

#### 5. गलाघोंटू:

जीवाणु जनित रोग है। यह पॉस्टुरेला जीवाणु द्वारा होता है। इस रोग में 104 से 106 डिग्री तक बुखार आता है, गले में सूजन आती है, साँस लेने में कठिनाई होती है। उपचार न कराने पर पशु 24 घंटों में मर जाता है। यह रोग आमतौर पर बरसात में होता है परन्तु वर्षा में कभी भी हो सकता है।

**बचाव :-** रोग की रोकथाम के लिए पशुओं को प्रतिवर्ष मई-जून माह में टीका लगवा लेना चाहिए। रोग हो जाने पर बीमार पशु को अलग रखना चाहिए तथा उपचार करायें।

#### 6. लंगडिया बुखार:

यह भी जीवाणु जनित रोग है। यह क्लोस्ट्रिडियम चोबिआई द्वारा फैलता है मुख्यतः ये रोग छः महीने से दो वर्ष तक की आयु के पशुओं में होता है। प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार आना, पैर में सूजन आना और सूजन में गैस का भरना है, सूजन के दबाने से चरचराहट की आवाज आती है।

बचाव :-रोग की रोगथाम के लिए पशुओं में अगस्त-सितम्बर में टीका लगाना चाहिए। बीमार पशु का एन्टी ब्लैक क्वार्टर सीरम लगवाना चाहिए। मरे पशु को जमीन में गाढ़ देते हैं जिससे संक्रामक न हो सके।

#### 7. जहरी बुखार:

यह रोग 'बैसिलस-एन्थ्रेसिस' नामक जीवाणु से होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षणों में 105 से 108 डिग्री फ़ैरेनाइट तक तेज बुखार आता है तिल्ली बढ जाती है तथा खून का रंग काला हो जाता है। नाखूनो से खून निकलता है। अंततः 24-48 घंटे में मृत्यु हो जाती है। रोग संक्रमण द्वारा मनुष्यों में भी फैल जाता है। यह जूनोटिक रोग है।

बचाव :-रोग के बचाव के लिए स्वस्थ पशुओं में अगस्त माह में एन्थ्रेक्स का टीका लगवाना चाहिए मरे हुए पशु की खाल नहीं निकालनी चाहिए और शव को गहरे खड्डे में चूना डालकर दबा देना चाहिए

इस समस्त रोगों के लक्षण उत्पन्न होने पर पशुचिकित्सक की सलाह से उपचार कराये जिससे पशुपालन शासन द्वारा उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाकर आर्थिक आनि से बच सके।

### पशुपालन कैसे करें

#### पशु का आवास व्यवस्था :-

1. पशुशाला का निर्माण ऊँचे स्थान पर करें।
2. पशु के खडे होने का स्थान आगे से पीछे की ओर ढाल वाला हो, तथा चिकना न हो वरना पशु के फिसलने का खतरा रहता है।
3. खुला हवादार स्थान हो तथा फर्ष पक्का हो।
4. पानी के स्तर से ऊँचे वाले स्थान पर पशुशाला बनाये।
5. गोबर, पेशाब गड्ढे में एकत्र कर खाद बनानी चाहिए।
6. पशुशाला की सफाई नियमित रूप से दो बार करे।
7. पशुशाला के पास छायादार वृक्ष हो।
8. पशु को स्नान कराने की व्यवस्था हो।

#### कृत्रिम गर्भाधान क्यों अपनाये :-

1. उच्च गुणवत्ता के साण्ड सरलता से नहीं मिलते।
2. प्रत्येक साण्ड के रखरखाव एवं चारे पर अधिक खर्च आता है।
3. छोटे आकार के पशुओं में नैसर्गिक प्रजनन में परेषानी होती है।
4. साण्ड द्वारा प्रजनन से जननअंग की बीमारी फैलती है।
5. वीर्य की जाँच साण्ड में सम्भव नहीं हो पाती है कृत्रिम गर्भाधान से पूर्व वीर्य जाँच कर प्रयोग करते हैं।
6. साण्ड में एक बार के वीर्यदान से एक पशु गर्भित होता है जबकि उसी वीर्य की मात्रा से कृ०ग० द्वारा 20-30 पशु गर्भित किये जाते हैं।
7. साण्ड की मृत्यु के पश्चात् भी उसकी संतति प्राप्त की जा सकती है।
8. किसी दूरस्थ स्थानों पर पहाड़ों पर भी कृ०ग० द्वारा संतति आसानी से प्राप्त की जा सकती है।
9. एक दिन में साण्ड द्वारा अधिकतम दो कवरिंग होती है जबकि कृ०ग० द्वारा एक दिन में कितनी भी संख्या में पशुओं को गर्भित किया जा सकता है।

### अच्छा दुग्ध उत्पादन – महत्वपूर्ण तथ्य :-

1. पशु का दुहान नियमित रूप से निश्चित समय पर करें।
2. दुहान से पूर्व अयन को लाल दवा के पानी से साफ करें।
3. दुहान का बर्तन ऊपर से आधा तिरछा/ढका हुआ हो।
4. दुहान निरोग व्यक्ति द्वारा हाथों को साबुन से स्वच्छ कर अथवा लाल दवा से धोकर किया जाय।
5. दुहान के समय शान्ति का माहौल हो, हल्का संगीत बजाने से अधिक उत्पादन मिलता है।
6. दुहान का कार्य शीघ्रता से एक बार में पूरा करना चाहिए।
7. दूध की प्रारम्भिक धार प्रयोग में नही लानी चाहिए, उसे फेंक देना चाहिए।
8. गर्मियों में दिन में एक बार पशु को नहलाये एवं अधिक दुग्ध उत्पादन प्राप्त करें।
9. दुहान के समय गंध वाला आहार न खिलायें या ग्वालो का इत्र का प्रयोग नही करना चाहिए अन्यथा दूध से गंध आ जायेगी।

### भारतीय पशुओं के आनुवांशिक पदार्थ के संरक्षण की आवश्यकता :-

2. भारतीय नस्ल की दुग्ध उत्पादन क्षमता काफी है।
3. भारतीय नस्ल की दुग्ध उत्पादन क्षमता काफी अच्छी है।
4. भारतीय नस्लों की बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता अधिक है।
5. नर बच्चों की कार्यक्षमता अधिक होती है।
6. भारतीय नस्लों में वसा का प्रतिशत अधिक होता है।
7. रखरखाव में कम खर्च आना।
8. डिस्टोकिया का प्रतिशत कम होना।

### मुर्गियों के मुख्य रोग, लक्षण निदान, टीकाकरण एवं रोग नियंत्रण

#### मुर्गियों के मुख्य रोग निम्न प्रकार है :-

1. **रानीखेत :-** मुर्गियों में यह बीमारी सबसे घातक है। यह एक विशाणु से होती है जैसे तो यह रोग सभी आयु वर्ग में फेलता है परन्तु चूजों में यह अत्यधिक उग्र रूप से फेलता है। गले में घरघराहट, बलगम की शिकायत, स्वास लेने में कठिनाई, मुह खोलकर श्वास शरीर की मांसपेशियों में कम्पकपाहट चलने में लंगडापन तथा पैरों में लकवा होना, तेज बुखार, बीट पानी जैसी पतली बदबुदार तथा पंख बिखर जाते हैं। कलंगी काली पड जाती है। सर, पैरों या पंजे के बीच कर लेती है। यदि पक्षी अंडे देने वाली हो तो उसके अण्डा उत्पादन में गिरावट, अण्डे का छिलका काफी पतला तथा उनका आकार भी कम होता है अदि लक्षण दिखाई देते हैं। इस रोग का कोई उपचार नहीं है। रोग होने पर षट प्रतिषत तक मृत्यु हो जाती है यदि समय पर टीकाकरण किया जाय तो रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। रानीखेत एफ वन स्डेन की बूंद नाक में तथा एक बूंद आंख में एक से छः दिन तक डाल दी जाये तो दो माह की उम्र तक रानीखेत से पक्षियों का बचाव किया जा सकता है। 6 से 8 सप्ताह बाद नयये पक्षियों को रानीखेत का टीका लगा दिया जाता है और ऐसा करके पक्षियों को रानीखेत रोग से जीवन भर के लिये सुरक्षित कर लिया जाता है। बीमार पक्षियों को तुरन्त बदल दिया जाये तो बीमारी को फेलने से रोगा जा सकता है।

2. **मुर्गी चेचक :-** यह दूसरी मुख्य फलने वाली बीमारी है यह एक किस्म के विशाणु द्वारा होती है। यह सभी आयु के पक्षियों में होती है परन्तु बडी में अधिक होती है।

लक्षण—भूख की कमी सुस्त सांस लेने में तकलीफ नाक या आंख से पानी आना, कलंगी, कर्णफूल और पैरों में चेचक के दाने पैदा होना, तेज बुखार, कानों में झागदार पदार्थ जमा हो जाना, मुह में झिल्ली पैदा होना और यदि झिल्ली न निकाली गई तो दम घुटने लगता है। अण्डा उत्पादन गिर जाना, मृत्यु छोटे बच्चों में अधिक तथा बडों में कम होती है। इस बीमारी से 60-पतिषत तक मृत्यु सम्भव है। इस रोग से बचाव के लिए आवश्यक है कि दो माह की उम्र पर फाउल पोक्स का टीका लगाया जाये। इस रोग से बचाव के उपाय को ही प्राथमिकता दी जाती है। परन्तु यदि रोग हो जाये तो स्वस्थ पक्षियों को तुरन्त बीमार पक्षियों से अलग कर टीका लगा दिया जाना चाहिये, बाडों की सफाई तथा कीटाणुनाषक घोल का छिडकाव कर बीमार पक्षियों को सन्तुलित आहार तथा पानी के साथ एन्डीबायोटिक तथा विटामिन्स दिये जाये। मुह में यदि झिल्ली हो गयी हो तो उसे निकाल देना चाहिये।

3. **जुकाम लगना :- (फाउल कोराइजा)–** यह जीवाणुओं द्वारा फेलने वाला रोग है जो अतिषीघ्र मुर्गियों को अपनी पकड में ले लेता है इस बीमारी के मुख्य लक्षणों में छीक आना, खांसना, सांस लेने में कठिनाई होना, सिर

को ऊपर उठाना तथा चेहरे ,कर्णफूल में सूजन,आंख तथा नाक से दुर्गन्धित द्रव का निकलना,भूख में कमी हो जाना,अण्डों की उत्पादन क्षमता में कमी हो जाना। रोग के उपचार के लिये सल्लयुक्त औषधियां आहार या पानी में देनी चाहिए। इसी के साथ-साथ अच्छे एन्टीवायॉक्स भी दिये जाते हैं रोकथाम के लिये रोगग्रस्त पक्षियों को तुरन्त अलग कर देना चाहिए।

**4. मुर्गी का हैचा रोग(फाउल कालरा) :-** यह भी जीवाणुओं ,द्वारा होने वाला रोग है यह अधिकतर वर्षा ऋतु में फैलता है जब बीमारी का प्रकोप होता है तो बिना लक्षण दिखाये काफी संख्या में मृत पाये जाते हैं इस बीमारी में हरे पीले दस्त भूख में कमी कभी-कभी सांस लेने में कठिनाई प्यास अधिक लगना जोड़ों में सूजन, कलंगी तथा कर्णफूल में सूजन या काला पड जाना तथा भर में गिरावट आने के लक्षण दिखाई देते हैं। इससे कभी-कभी छः से आठ सप्ताह के आयु वर्ग की मुर्गियों में रोग होता है परन्तु सामान्यतः बड़ी मुर्गियों में ही यह रोग होता है। मृत्यु कभी कम कभी अधिक होती है रोग के उपचार में सल्फा दवाओं का प्रयोग किया जाता है एन्टीवायोटिक द्वारा भी उपचार हो जाता है। रोग से बचाव के लिए डेढ माह से अधिक पक्षियों में फाउल कालरा का टीकास लगवा लेना चाहिए। रोग नियंत्रण के लिए बीमारी के दौरान कुक्कट गृहों में स्वच्छ हवा के आवागमन के लिए उचित व्यवस्था की जाये।

**5. लकवे का रोग (मैरिक्स डिजीज) :-** यह विशाणुजनित रोग है इस बीमारी में भी मृत्यु दर अधिक होती है रोग के मुख्य लक्षण जो पाये जाते हैं उस के अनुसार बीमार पक्षियों को लकवा रोग पैदा हो जाता है व खा पी नहीं सकते। जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है यह बीमारी आमतौर से छोटी उम्र के पक्षियों (डेढ माह से दो माह) में अधिक होती है। बड़े उम्र के पक्षियों में जो अण्डा देने वाली होती है, उनके पैरो तथा गर्दन में लकवा हो जाता है इन के भार में कमी हो जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, तथा कभी-कभी दस्तों की शिकायत होती है इस रोग से बचाव के लिए एक दिन के बच्चों को एच.बी.टी. नामक वैक्सीन का टीका लगा दिया जाता है। इससे जीवन पर्यन्त इस रोग से सुरक्षा हो जाती है हालांकि बीमारी पैदा होने पर बीमार पक्षियों की चिकित्सा सम्भव नहीं परन्तु यदि स्वस्थ पक्षियों को अलग कर बाड़ों की सफाई, उन में कीटाणुनाशक दवा का छिडकाव कर दिया जाये और बिछावन बदल दी जाये और मुर्गी बाड़ों में स्वच्छ हवा का आवागमन पर्याप्त कर दिया जाये तो स्वस्थ पक्षियों को बीमार होने से बचाया जा सकता है।

**6. चिचडी ज्वर (स्पाइरोकीटोसिस) :-** इस रोग के कीटाणुओं की वजह चिचडिया हाती है। यह मुर्गियों की एक आम व खतरनाक बीमारी है। रोग के लक्षणों में बीमार मुर्गियाँ अलग-अलग रहती हैं, सुस्त हो जाती हैं, पंख बिखर जाते हैं, पैरो व पंजों में सूजन आ जाती है, कमजोर हो जाती है तथा बुखार हो जाता है, ठीक से खडी नहीं हो पाती, सिर झुका देती है, पानी अधिक पीती है। हरे रंग के तीव्र दस्त, तथा मरने से पहले शरीर का तापक्रम सामान्य से कम हो जाता है। रोग से बचाव के लिए छः सप्ताह से अधिक आयु पर वैक्सीन लगायी जाती है। बीमार होने पर एन्टीवायोटिक का टीका तीन दिन तक लगवाना चाहिए। रोग नियंत्रण के लिए बाड़ों से चिचडियों को नष्ट कर दे इसके लिए ब्लो लैम्प का प्रयोग या फिर कीटनाशक दवा का प्रयोग करना होगा।

**7. दीर्घकालीन प्वांस रोग (सी0आर0डी0) :-** यह भी संक्रामक रोग है जो अक्सर सर्दियों में होता है। इस रोग के फैलने पर पक्षियों में मृत्यु दर 40 प्रतिशत तक हो सकती है रोग के लक्षण, भूख कम लगना, सांस लेने में कठिनाई, आँख से तथा नाक से पानी आना तथा गले के अन्दर पीले रंग का पदार्थ जमा होना तथा एक विशेष प्रकार की आवाज करना है। इस रोग के फैलने में आहार की कमी, परजीवियों का प्रकोप, विटामिन ए की कमी तथा कुक्कटशालाओं में नमी अधिक होना सहायक होते हैं। रोगी मुर्गियों का एन्टीवायोटिक तथा विटामिन्स द्वारा उपचार शुरू कर देना चाहिए। आहार में हरी सब्जियों या बरसीम का प्रयोग कराये। रोग नियंत्रण हेतु अण्डों की सफाई जर विशेष ध्यान दे क्योंकि बीमारी अण्डों के द्वारा खून में फैलती है।

**9. खूनी दस्त लगना (कोक्सीडियोसिस) :-** यह बीमारी प्रोटोजोवा कीटाणुओं द्वारा उत्पन्न होती है यह बीमारी कम आयु के चूजों में अक्सर होती है इस रोग के लक्षण जैसे पक्षी की बीट के साथ खून का आना खून मिले दस्त होना, कलंगी का सूखा पड जाना पक्षियों का उधना, भूख में कमी, अण्डा देने में कमी, पक्षियों का कमजोर हो जाना, यदि रोग की चिकित्सा षीघ्र न की जाये तो मृत्यु दर में वृद्धि हो जाना, बीमारी के उपचार के लिए पक्षियों को पानी के साथ सल्फा दवा 5 दिन तक दी जानी चाहिए। रोग नियंत्रण के लिए मुर्गी बाड़ी को सूखा रखा जाये तथा बिछावन को पलटते रहना चाहिए या उसमें चूना छिडक दें। मुर्गी बाड़ों में शुद्ध हवा की उचित व्यवस्था करें। बचाव हेतु 15 दिन की आयु पर चूजों को किसी भी काक्सीडिया पर प्रभावी दवा का कोर्स तीन दिन तक दें पुनः एक माह की आयु पर यह कोर्स दुबारा दें। इसके बाद दो तीन माह तक प्रत्येक माह देते रहें।

**9. एस्केरियासिस** :- यह रोग गोल कृमि के कारण होता है तो आंतों में पाई जाती है यह गोल तथा लम्बे होते हैं जो कि आंतों में गुच्छे बना लेते हैं इनके कारण पक्षियों के शरीर के भार में कमी, अण्डा देने की क्षमता गिर जाना, पक्षी सुस्त व कमजोर हो जाते हैं इसके बचाव व उपचार के लिए कृमिनाशक दवापान प्रतिमाह कराया जाना चाहिए।

**10. शरीर पर लगने वाले बाह्य परजीवी** :- चिचडी, जूं, पिस्सू मुर्गी के शरीर के ऊपर पाये जाते हैं। यह मुर्गी बाड़ों के दरारों में भी रहते हैं जहां से रात में निकल कर मुर्गी पर आक्रमण कर देते हैं यह उनका खून चूसते हैं जिस कारण चूजों में मृत्यु भी हो जाती है। निन्त्रयण के लिए बाड़ों का सारा कूड़ा करकट जला दें, नियमित रूप से बाड़ों में कीटनाशक दवा का प्रयोग करें। जिन मुर्गियों पर कीड़े दिखाई दें उन पर भी कीटनाशक दवा का छिड़काव करायें।

## नागरिक अधिकार पत्र

### पशुपालन विभाग

पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना वर्ष 1944 में की गई। इससे पूर्व सिविल वेटरीनरी डिपार्टमेंट एवं कृषि विभाग द्वारा ही पशुपालन संबंधी कार्य सम्पादित किये जाते थे। उस समय पशुपालन विभाग मुख्यतः पशुरोग नियंत्रण एवं अश्व प्रजनन का कार्य करता था। बाद में पशुपालन विभाग के पृथक रूप से स्थापना होने पर सर्वांगीण विकास करने हेतु पशुचिकित्सा एवं रोग नियंत्रण के साथ-साथ पशुधन विकास प्रजनन एवं चारा विकास आदि कार्यक्रम भी आरम्भ किये गये। वर्तमान में पशुपालन विभाग ग्राम्य विकास से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण विभाग है, जो किसानों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु संकल्पित है।

### विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं का उद्देश्य :-

1. समन्वित पशु स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमों द्वारा पशुधन को स्वस्थ रखना तथा उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग।
2. विभागीय एवं वैज्ञानिक नीतियों से विभिन्न पशुधन की प्रजनन व उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी तथा स्वदेशी पशुधन प्रजातियों का संरक्षण एवं संवर्धन करना।
3. पशुधन हेतु पर्याप्त चारा एवं पोषण की व्यवस्था करना, तथा उन्नत पशु प्रबन्ध विधियों का प्रचार-प्रसार करना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों का गाँवों में ही स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर उनका सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन तथा उद्यमिता विकास, और उसमें व्यवसायिक विविधीकरण हेतु चेतना जागृति करना।
5. गो नस्ल, गोवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखना।
6. प्रदेश में विभिन्न पशुधन उत्पादों की क्षमता में वृद्धि कर दूध, ऊन, अण्डा व मॉस आदि का उत्पादन बढ़ाना तथा पशुपालकों को उनके उत्पादों का समुचित मूल्य उपलब्ध कराना।

### पशुपालकों एवं ग्रामीणों के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता :-

पशुपालन विभाग द्वारा किसानों के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु निम्न सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं -

1. पशुचिकित्सा एवं रोगों के रोकथाम हेतु निरन्तर सेवाएँ 21 पशुचिकित्सालयों, पशुसेवा केन्द्रों व "द" श्रेणी औषधालयों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में पशुचिकित्सालय तथा पशुसेवा केन्द्र उपलब्ध हैं।
2. विशय विशेषज्ञों द्वारा पशुचिकित्सालय शल्य क्रिया एवं एक्स-रे आदि विभिन्न रोग निदान सेवाएँ पशुपालकों को पशुचिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पॉलीक्लीनिक की स्थापना की जानी प्रस्तावित है।
3. विभिन्न पशु बीमारियों के नियंत्रण हेतु सघन टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। गलाघोटू, बी0क्यू0, खुरपका-मुँहपका, पी0पी0आर0रोग, शीप पॉक्स, एफ0पी0, आर0डी0 का टीकाकरण सम्पादित किया जाता है, साथ ही पशुमेला तथा हाटों में पशुओं का संक्रामक रोगों से बचाव हेतु टीका करना अनिवार्य किया जा रहा है।
4. पशुओं में उत्पन्न होने वाली बीमारियों के निदान हेतु रोगों की जॉच/पैथोलोजी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
5. पशुओं में खुरपका-मुँहपका बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त करने हेतु पशुपालकों को भारत सरकार की 75 प्रतिशत सहायता से टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
6. रिन्डर पेस्ट घातक बीमारी प्रदेश में समाप्त हो चुकी है, परन्तु इस बीमारी का पुनः प्रकोप न होने के उद्देश्य से निरन्तर सीरोसर्वेलेन्स एवं मॉनिटरिंग किया जा रहा है।
7. निदेशालय स्थित डिजीज सर्वेलेन्स एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रदेश में पशुओं की 10 प्रमुख बीमारी तथा अन्य प्रचलित बीमारियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के उद्देश्य से रोग सर्वेलेन्स का कार्य निष्पादित किया जा रहा है।
8. वर्तमान समय में बाझपन पशुओं उर्वरकता में ह्रास की जटिल समस्या हो रही है। जिसके निवारण हेतु विशेष बाझपन निवारण शिविर लगाकर पशुपालकों को सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
9. पशुधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख रूप से गायों एवं भैंसों में प्रजनन कार्य अतिहिमिकृत वीर्य तथा नैसर्गिक अभिजनन द्वारा किया जा रहा है। प्रजनन कार्यक्रम को सुदृढ करने हेतु उत्तरॉचल पशुधन विकास परिशद का गठन किया गया है। जिसके माध्यम से गाय, भैंस प्रजनन कार्यक्रम की निरन्तरता के लिए विशेष सुविधा कराई जा रही है।
10. प्रजनन आच्छादन को 23.00 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। आगामी वर्षों हेतु पशु प्रजनन नीति बनाई गई है। ऊपर वर्णित विभागीय संस्थाओं के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कृषकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान की सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु स्वरोजगार सृजन कर पैरावेट की व्यवस्था की गई है।
11. प्रदेश में गोवध पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु गोवध निवारण अधिनियम अंगीकृत कर लागू कराया जा रहा है।
12. पंजीकृत गोशालाओं का विस्तार एवं सुदृढीकरण तथा स्वदेशी पशुओं के संरक्षण के लिए गोशालाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

13. हरे चारे की व्यवस्था में बायोमास, प्रमाणित चार बीज उत्पादन, मिनीकिटों द्वारा चार प्रदर्शन तथा सिल्वीपाश्चर विकास पर बल देते उन्नतशील चारा बीज के मिनीकिटों का वितरण किया जा रहा है।
14. भेड प्रजनन कार्यक्रम में सामूहिक दवापान आदि की सुविधा उत्तरांचल भेड विकास बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।
15. बेरोजगारे को रोजगार प्रदान करने हेतु स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार एवं अन्य सम्बन्धित योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के युवक युवतियों को लाभान्वित करने के लिए मिनी डेयरी, बकरी, भेड, सूकर तथा कुक्कुट इकाई की स्थापना कराई जा रही है। साथ ही विभाग द्वारा उनके लिए उक्त हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।
16. प्रदेश के नागरिकों को आरोग्यदायी एवं स्वच्छ मांस उपलब्ध कराने हेतु वधशालाओं पर विभाग द्वारा गुणवत्ता मांस उत्पादन सुनिश्चित कराने की व्यवस्था की जा रही है।

## मैनुअल – 14

किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के  
संबंध में ब्यौरे जो उसमें उपलब्ध  
हों या उसके द्वारा धारित हों।

1. फ़ैक्स/ई0 मेल/वीडियों कान्फ़्रेंस के द्वारा सूचनाएं भेजी जाती हैं।

## मैनुअल – 15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के लोग उपयोग के लिये अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घण्टे सम्मिलित है।

1. अखबार द्वारा
2. प्रदर्शनी द्वारा
3. सूचना पट द्वारा
4. विभागीय मैनुअल / गोष्टियों द्वारा

## मैनुअल – 16

### लोक सूचना अधिकारियों और कर्मचारियों का नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां

लोक सूचना अधिकारी / बरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय-मुख्य  
पशुचिकित्सा अधिकारी पौडी

1. लोक सूचना अधिकारी :- श्री पूर्ण सिंह रावत बरिष्ठ प्रशासनिक  
अधिकारी कार्यालय-मुख्य पशु चिकित्साधिकारी  
दूरभाष नम्बर – 951368-223084  
फैक्स नम्बर – 01368-223084
2. सहायक लोक सूचना अधिकारी – श्री गुणा नन्द प्रशासनिक अधिकारी  
फैक्स नम्बर – 01368-223084

## मैनुअल – 17

ऐसी अन्य सूचनाएँ जो  
विहित की जाय।

## मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पौड़ी से सम्बन्धित सूचना के अधिकार से सम्बन्धित मैनुअल।

- 1:- पशु चिकित्सा – विभागीय संस्थाओं के क्षेत्रान्तर्गत पशुओं के रोगों का निदान एवं उपचार कार्य सम्पादित किया जा रहा है ।
- 2:- बधियाकरण – अनुपयोगी एवं निम्न प्रजनन क्षमता के स्थानीय साण्डों का वैज्ञानिक विधि से बधियाकरण करके कम गुणवता के जर्मरलाज्म को फैलाने से रोकना जिससे नस्ल सुधार कार्यक्रम को प्रदेश में और तीव्र गति से चलाया जा सके ।
- 3:-टीकाकरण:- पशुओं में होने वाले भयानक संक्रामक रोगों जैसे एफ0एम0डी0,गला घोटू,ब्लेक क्वार्टर पी0पी0आर0 आदि रोगों से बचाव हेतु ग्राम स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाना जिससे बहुमूल्य पशुओं को हानि से रोका जा सके ।
- 4:-दवापान एवं दवा स्नान:- पशुओंमें होने वाले अन्त पारजीव एवं बाह्य पारजीवी से बचाव हेतु दवापान एवं दवा स्थानकी सुविधा मुहिया कराकर फ्युओं के उत्पादन एवं शारीरिक क्षमता में वृद्धि करना ।
- 5:- कृत्रिम गर्भाधान:- उत्तरांचल लाइब स्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड के सहयोग से जनपद के 226 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों द्वारा उच्च गुणवत्त के सीमन के द्वारा गाय/भैसों में नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है ।
- 6:-नैसर्गिक अभिजनन कार्यक्रम:- जनपद के क्षेत्रान्तर्गत दूर-दराज के क्षेत्रों में उत्तरांचल लाइबस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्डद्वारा नैसर्गिक प्रजनन हेतु उन्नत नस्ल के गाय एवं भैसों का वितरण करवा कर नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है ।
- 7:-भेड़ों में नस्ल सुधार कार्यक्रम:- उत्तरांचल शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड के माध्यम से भेड़ों में नस्ल सुधार हेतु जनपद में फ्यु पालकों को उन्नत नस्ल के मेढें नियुक्त वितरित किये जा रहे हैं ।
- 8:-ग्रामीण कुक्कुट विकास परियोजना- जनपद के क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट वितरण का कार्यक्रम ग्रामीण परिवेस में उच्च गुणवता का मांस एवं अण्डों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है ।
- 9:-चारा मिनीकिट वितरण:- उच्च गुणवता के चारा बीजों का फ्यु पालकों में वितरण किया जा रहा है । जिससे फ्युवों को पोष्टिक हरा चारा उपलब्ध हो सके, हरें चारे के उत्पादन से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की जा रही है ।
- 10:- बांझपन कैम्प का आयोजन:- ग्रामीण स्तर पर फ्युवों में होने वाले बांझपन कम उत्पादकता के निवारण हेतु फ्यु बांझपन कैम्प का आयोजन किया जा रहा है ।
- 11:- फ्युपालन गोष्ठी एवं फ्यु प्रदर्शनी- फ्यु पालक को रोजगार परक एवं आर्थिक उन्नति के लिए फ्यु पालन गोष्ठी एवं फ्यु प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है ताकि जनता में जागरूकता लाकर स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहिया कराया जा सके ।

जनपद पौड़ी गढवाल वर्ष 2012 की ( 19 वी ) पशु गणना के अनुसार कुल पशु संख्या 663118 हैं। विकास खण्डवार पशुओं की संख्या निम्न प्रकार हैं

क्र०सं०	विकास खण्ड का	गौवंसीय	महिसवंसीय	भेड	बकरी	घोडे	खच्चर	गधे	सुकर	कुल पशु
1	पौड़ी	19078	1256	603	5569	50	55	17	200	26828
2	दुगड्डा	33508	3000	2978	13668	106	205	41	413	53919
3	पोखड़ा	18514	698	1389	6392	63	50	00	00	27106
4	थलीसैण	40572	9329	3468	24268	50	50	15	00	77752
5	द्वारीखाल	34508	806	2828	17568	56	205	20	22	56013
6	रिखणीखाल	31706	682	645	9724	37	94	00	00	42888
7	कल्जीखाल	29682	500	1019	10300	17	68	85	00	41671
8	कोट	18883	1000	252	11585	77	64	24	04	31889
9	बीरोखाल	32457	5893	2500	8743	50	209	00	00	49852
10	एकेस्वर	32270	2000	4071	10139	04	29	03	00	48516
11	जहरीखाल	28983	500	999	7289	50	80	00	00	37901
12	खिर्सू	10708	1000	100	3510	75	44	25	00	15462
13	यमकेस्वर	34696	2179	752	23098	99	256	00	32	61112
14	नैनीडाडा	35104	400	2349	14839	22	330	00	00	53044
15	पाबाँ	27301	280	2459	9013	11	86	00	15	39165
	योग	427970	29529	26412	175705	767	1825	230	686	663118

1-2-उद्देश्य -पशु पालन विभाग के माध्यम से फ्यु पालकों को दी जाने वाली सुविधाओं/कार्य प्रणाली की जानकारी व रोग निदान की सुविधा प्रदान करना ।

1-3- उपयोगिता-यह हस्तपुस्तिका फ्यु पालन व्यवसाय से जुडे व्यक्तियों / राजकीय संस्थाओं / गैर राजकीय संस्थाओं के लिए उपयोगी हैं ।

1-4, प्रारूप- इस हस्त पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर प्रारूपों का विवरण प्रस्तुत हैं

1-5- परिभाषायें -

0- मु0प0चि0अ0	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ।
0- प0चि0अ0	पशु चिकित्साधिकारी ।
0-प0प्र0अ0	पशुधन प्रसार अधिकारी ।

1-6,विस्तृत जानकारी हेतु सम्पर्क व्यक्ति -

- 0-पशुधन प्रसार अधिकारी(संस्थाओं पर तैनात)
- 0-पशु चिकित्साधिकारी (फ्यु चिकित्सालयों पर)
- 0-मुख्य पशु चिकित्साधिकारी-फ्यु पालन विभाग ।
- 0- उपनिदेसक,पशुपालन विभाग,गढवाल मण्डल-पौड़ी ।
- 0-अपर निदेसक,पशुपालन विभाग उत्तरांचल गोपेस्वर-चमोली ।

1-7, अतिरिक्त सुविधायें प्राप्त करने की विधि एवं चुल्क-कार्यक्रम से सम्बन्धित सूचनायें क्रमांक 1-6 पर अकिंत अधिकारियों से प्राप्त की जा सकती हैं चुल्क से सम्बन्धित सूचना शासन के निर्धारण उपरान्त उपरोक्तानुसार प्राप्त की जा सकती हैं ।

जनपद पौड़ी में वर्ष 2005-06 से वर्ष 2009-10 तक के विभिन्न पशुजन्य पदार्थों के अनुमान

क्र०सं०	मद	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	दूध उत्पादन (ह०मी०ट०में)	98.083	97.994	102.886	104.537	106.042
2	अण्डा उत्पादन (लाख में)	12.256	12.656	37.510	37.941	40.650
3	ऊन उत्पादन (ह०कि०में)	30.891	30.711	20.386	19.935	19.963
4	मीट उत्पादन (लाख में)	3.218	2.761	5.173	3.799	5.538

दैनिक दुग्ध उत्पादन प्रति दूध दे रही पशु

क्र०सं०	मद	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	देसी गाय	1.167	1.160	1.816	1.814	1.832
2	क्रास ब्रीड गाय	4.602	4.780	6.166	7.436	6.236
3	कुल गाय	1.987	2.008	2.118	2.174	2.205
4	भैस	3.761	3.764	3.766	3.774	3.819

